**न्यायालयः– विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, नसीराबाद, जिला–अजमेर (अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद, अजमेर)**

**– – – – – – – – –**

**पीठासीन न्यायाधीशः– ममता सैनी, आर.जे.एस.**

**एन.डी.पी.एस. प्रकरण संख्या – 01/2019**

**सीआईएस पंजीयन संख्या – 23/19**

**प्रथम सूचना सं. – 108/18**

**पुलिस थाना – मांगलियावास, जिला अजमेर**

**– – – – – – – – –**

सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक ।

**––– अभियोगी**

बनाम

1– कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर,
निवासी भामासी पुलिस थाना–दुधवा खारा, जिला–चुरू

2– विजेन्द्र पुत्र श्री दयाचंद, उम्र 29 साल,
निवासी डीगली पुलिस थाना–हमीरवास, जिला–चुरू,

3– राजेश कुमार पुत्र मनीराम, उम्र 42 साल,
निवासी चांदगोठी, पुलिस थाना–हमीरवास जिला चुरू।

**(अभियुक्तगण विजेन्द्र एवं राजेश के विरुद्ध दिनांक 10.12.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है)**

**––अभियुक्त**

**<u>अपराध अन्तर्गत धारा – 8/25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985</u>**

उपस्थित:–

1. श्री महेन्द्र चौधरी , अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से,
2. श्री निसार अहमद विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त कृष्ण कुमार

**निर्णय दिनांक: 24-07-2026**

1- यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रकरण में अभियुक्तगण राजेश एवं विजेन्द्र के विरुद्ध दिनांक 10.12.2019 को न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है। अभियुक्त कृष्ण कुमार को स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट की पालना में दिनांक 04.04.2022 को न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया ।

**हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरुद्ध आरोपित अपराध बाबत निर्णय पारित किया जा रहा है ।**

2- इस प्रकरण का उद्भव दिनांक 05.12.2018 को होने से पुलिस थाना मागंलियावास की ओर से जरिये लोक अभियोजक अभियुक्तगण क्रमशः विजेन्द्र के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/15, अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 8/25, एवं अभियुक्त राजेश कुमार के विरूद्ध 8/29, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 **(जिसे निर्णय में आगे ''अधिनियम,1985'' से सम्बोधित किया जावेगा)** के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- इस प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि दिनांक 08.06.2018 को समय 11.15 पीएम पर रात्रि आईपीएस प्रोबेशनर थानाधिकारी डॉ. अमृता दुहन मय जाप्ता कुलदीपसिंह एएसआई चालक देवाराम कानि.1766 मय सरकारी वाहन गाडी नम्बर आरजे-01-1सी-1188 के मय आईओ बॉक्स साप्ताहिक नाकाबंदी पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के आदेशानुसार रवाना होकर टोल नाका बिडकचियावास समय 11.25 पीएम पर पहुची जहां पूर्व से थाने से रवाना गोपाराम हैड कानि. 110 व जाप्ता कानि. 1377 अनिल, कानि. 766 वेदप्रकाश, चालक कानि. 1923 भागचंद व सरकारी जीप नम्बर आर.जे.01 यूए 8514 उपस्थित मिले। जहां पर नाकाबंदी करने के पश्चात आईपीएस प्रोबेशनर थानाधिकारी डॉ. अमृता दुहन व एएसआई

कुलदीपसिंह मय चालक 1766 देवाराम सरकारी गाडी नम्बर आरजे-01-1सी-1188 के बाद नाकाबंदी समय 1.00 ए.एम दिनांक 09.06.18 की रात्रि रवाना होकर गश्त करती हुई बिडकचियावास चौराहा पर समय करीब 1.05 एएम पर पहुची जहां पर गांव बिडकचियावास की तरफ से एक काले रंग के शीशे की टोयटा इनोवा कार नम्बर आरजे-10-यूए-0267 (जिसे निर्णय में आगे ''जब्तशुदा वाहन'' से सम्बोधित किया जावेगा) आई, जिसे चैक करने के लिये इशारा कर रूकवाया उक्त कार के नम्बर देखे आरजे-10 यूए-0267 लिखे हुये थे, चालक का नाम पूछा तो विजेन्द्र पुत्र श्री दयाचंद, जाति जाट, उम्र 29 साल, निवासी डिगली पुलिस थाना हमीरवास जिला चुरू बताया इतने में उक्त कार के पास बराबर वाली सीट पर बैठा व्यक्ति एकदम उतरकर भागा, जिसे रोकने का प्रयास किया नही रूका अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल की तरफ भाग गया। गाडी में अंदर देखा तो प्लास्टिक के भरे हुये कट्टे नजर आये जिस पर तुरन्त डी/ओ नाकाबंदी पोइन्ट टोल नाका बिडकचियावास से गोपाराम हैड कानि. 110, कानि. 766 वेदप्रकाश व चालक 1923 भागचंद जीप सरकारी नम्बर आरजे-01-यूए-8514 को फोन करके मौके पर बुलाया जो उस समय 1.20 ए.एम. पर उपस्थित आये जिनके सामने चालक का नाम बताते हुये उक्त जब्तशुदा वाहन को चैक किया तो जब्तशुदा वाहन में ड्राईवर सीट के पीछे वाली सीट पर एक प्लास्टिक का कट्टा भरा हुआ व पीछे जब्तशुदा वाहन की डिक्की खोल कर देखा तो 8 प्लास्टिक के कट्टे भरे हुये रखे मिले, जिनको खोलकर देखा तो अफीम डोडा पोस्त का चूरा भरा हुआ मिला। उक्त चालक से गाडी में से भागने वाले साथी का नाम पूछा तो विजयपाल निवासी भामासी जिला चुरू बताया। तत्पश्चात एएसआई कुलदीप सिंह ने भी उक्त कट्टो में भरे चूरा को अफीम डोडा पोस्त का चूरा होना पहचान किया व थानाधिकारी मय जाप्ता ने भी अफीम डोडा पोस्त का चूरा होना बताया व उक्त जब्तशुदा वाहन के चालक विजेन्द्र स्वयं ने भी अफीम डोडा पोस्त का चूरा होना बताया, जिस पर विजेन्द्र से अफीम डोडा पोस्त का चूरा इतनी अधिक मात्रा में अपने कब्जे में रखकर उक्त जब्तशुदा वाहन में परिवहन करने का लाईसेन्स व परमिट

मांगा तो नहीं होना बताया, जिस पर उक्त विजेन्द्र का कृत्य अपराध धारा 8/15 अधिनियम, 1985 का होने पर उक्त अफीम डोडा पोस्त की विधि अनुसार जब्ती की कार्यवाही करने हेतु कानि. 766 वेदप्रकाश को पास रोककर गोपाराम हैड कानि.110 को मय चालक कानि. 1923 भागचंद मय सरकारी जीप के तहरीर लिखित में देकर 2 स्वतंत्र गवाह व कांटा-बांट लाकर पेश करने के लिये समय 1.30 ए.एम. पर हुक्मनामा देकर रवाना किया जिसने समय 2.15 ए.एम. पर उपस्थित आकर एक इलेक्ट्रोनिक कांटा पेश किया व बताया कि रात्रि का समय होने से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिला है तथा आसपास भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है व न ही कोई राहगीर गवाह बनने को तैयार है, जिस पर जाब्ता में से कुलदीप सिंह एएसआई व वेदप्रकाश कानि. 766 को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये अवगत कराया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा उक्त कार्यवाही में स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति जताई। इस पर हर दोनों स्वतंत्र गवाह से पृथक-पृथक लिखित में सहमति प्राप्त कर फर्द सहमति समय 2.40 ए.एम. व 2.45 ए.एम. पर प्राप्त की गई तथा गवाहों के समक्ष मुलजिम विजेन्द्र के कब्जे में मिले 9 प्लास्टिक के कट्टों को जब्तशुदा वाहन में से बाहर निकालकर तलबशुदा इलेक्ट्रोनिक कांटे से पृथक-पृथक गोपाराम कानि. से वजन करवाया गया तो पहले प्लास्टिक के कट्टे पर सरल गोल्ड पशु आहार लिखा हुआ पीले रंग का कट्टा जिसमें भरे हुये अफीम डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन 14 किलो हुआ, दूसरे प्लास्टिक के पीले रंग के कट्टे पर सरस गोल्ड पशु आहार लिखा हुआ जिसमें भरे अफीम डोडा पोस्त सहित कट्टे का वजन 14 किलो हुआ, तीसरे प्लास्टिक के पीले रंग के कट्टे पर सरस गोल्ड पशु लिखा हुआ जिसमें भरे अफीम डोडा पोस्त सहित कट्टे का वजन किया तो 14 किलो हुआ, चैथा प्लास्टिक का पीले रंग का कट्टा जिसमें भरे हुये डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया तो 14 किलो हुआ, पांचवे प्लास्टिक के सफेद, हरी, काली, पीली धारीदार कट्टे में भरा डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया तो 21.800 किलो हुआ, छठे प्लास्टिक के सफेद, हरी, काली, पीली धारीदार कट्टे में भरे डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया 24.500 किलो हुआ, सातवें प्लास्टिक के सफेद कट्टे में भरा

डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया तो 24.800 किलो हुआ, आठवें सफेद प्लास्टिक का कट्टा कलश ब्राण्ड स्पेशल मखाना में भरा डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया तो 16.800 किलो हुआ एवं नौवे प्लास्टिक के सफेद कट्टा स्पेशल पशु आहार स्पेशल चापड लिखा में भरा डोडा पोस्त का कट्टे सहित वजन किया तो 14 किलो हुआ। इस प्रकार विजेन्द्र के कब्जे में कुल 9 नग कट्टो में भरे अवैध अफीम डोडा पोस्त का कुल वजन 157.900 किलो हुआ, जिस पर उपरोक्त चैकिंग अनुसार 9 प्लास्टिक के कट्टों में से 500-500 ग्राम नमूना सैम्पल व 500-500 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल पृथक-पृथक निकाल कर हरे रंग की पृथक-पृथक प्लास्टिक की थैलियों में रखकर प्लास्टिक की थैलियों को सफेद कपडे की थैलियों में पृथक-पृथक रखकर सील्डमोहर कर शेष अफीम डोडा पोस्त को उन्हीं कट्टो में रखा जाकर सभी 9 कट्टो को सील्डमोहर कर उपरोक्त चैकिंग अनुसार कट्टो पर मार्का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई अंकित किया गया तथा नमूना सैम्पल डोडा पोस्त थैली पर चैकिंग अनुसार मार्का क्रमशः ए 1, बी1, सी1, डी1, ई 1, एफ 1, जी1, एच 1, आई 1 अंकित किया जाकर कन्ट्रोल सैम्पलों पर चैकिंग अनुसार मार्का ए 2, बी2, सी2, डी2, ई 2, एफ 2, जी2, एच 2, आई 2 अंकित किया जाकर नमूना सील के नमूने सील्ड माल व फर्दात पर अंकित की जाकर फर्द नमूना सील व नष्टीकरण पृथक से समय करीब 5.00 ए.एम. पर तैयार की गई। अवैध अफीम डोडा पोस्त के परिवहन में प्रयुक्त जब्तशुदा वाहन को मय कागजात के पृथक से समय 5.40 ए.एम. पर जरिये फर्द जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया तथा समय 6.30 ए.एम. पर मुलजिम विजेन्द्र को धारा 52 अधिनियम, 1985 का नोटिस दिया जाकर लिखित में जवाब प्राप्त किया गया तथा समय 7.15 ए.एम. पर मुलजिम विजेन्द्र को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जाकर हिरासत में लिया जाकर मौके की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण की जाकर तलबशुदा इलेक्ट्रोनिक कांटे को जरिये हैड कानि. 110 गोपाराम के सुपुर्द किया जाकर बाद मौके की कार्यवाही के समय 8.00 ए.एम. पर थानाधिकारी डॉ. अमृता दुहन आईपीएस प्रोबेशनर मय समस्त जाप्ता मय सरकारी वाहन आरजे-01-01 सी-

1188 मय चालक देवाराम व चालक 1923 भागचंद मय सरकारी जीप आरजे–01–यूए–8514 मय आईओ बॉक्स मय अन्तर्गत धारा 8/15 अधिनियम, 1985 में जब्तशुदा माल मय जब्तशुदा वाहन मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम विजेन्द्र के हाजिर थाना पहुॅचे इत्यादि..........। पुलिस थाना मांगलियावास पर उक्त कार्यवाही के पश्चात् प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 108/2018 अन्तर्गत धारा–8/15 अधिनियम, 1985 पंजीबद्ध की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त विजेन्द्र के विरूद्ध धारा 8/15 अधिनियम, 1985, जब्तशुदा वाहन के वाहन स्वामी कृष्ण कुमार के विरूद्ध धारा 8/25 अधिनियम, 1985 व अभियुक्त राजेश के विरूद्ध धारा 8/29 अधिनियम, 1985 में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया व अन्य अभियुक्त विजय कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्रसिंह व पवन कुमार पुत्र जयनारायण के विरूद्ध धारा–173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता में अनुसंधान शेष रखा गया।

4– अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरूद्ध आरोपित अपराध के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर अभियुक्त कृष्ण कुमार को धारा 8/25 अधिनियम, 1985 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– तत्पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से आरोप पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. अमृता दुहन, पी.डब्ल्यू–2 गिरधारीलाल, पी.डब्ल्यू–3 प्रेमलता, पी.डब्ल्यू–4 सुरेश, पी.डब्ल्यू–5 संजय कुमार, पी.डब्ल्यू–6 प्रकाश जाट, पी.डब्ल्यू–7 देवाराम, पी.डब्ल्यू–8 राजकंवर, पी.डब्ल्यू–9 रामाकिशन, पी.डब्ल्यू–10 गोपाराम, पी.डब्ल्यू–11 वेदप्रकाश, पी.डब्ल्यू–12 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू–13 सूरज, पी.डब्ल्यू–14 इन्द्राज, पी.डब्ल्यू–15 रेखराज, पी.डब्ल्यू–16 कृष्ण कुमार, पी.डब्ल्यू–17 प्रभात को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नलिखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये–

1–प्रदर्श पी–01 रोजनामचा आम रपट दिनांक 08.6.2018

2–प्रदर्श पी–02 हुक्मनामा
3–प्रदर्श पी–03 फर्द सहमति स्वतंत्र गवाह कुलदीप सिंह (एएसआई)
4–प्रदर्श पी–04 फर्द सहमति स्वतंत्र गवाह वेदप्रकाश (कानि.)
5–प्रदर्श पी–05 फर्द जब्ती अवैध अफीम डोडा पोस्त
6–प्रदर्श पी–06 फर्द जब्ती जब्तशुदा वाहन
7–प्रदर्श पी–07 फर्द नमूना सील नष्टीकरण
8–प्रदर्श पी–8 फर्द नोटिस धारा 52 अधिनियम 1985 बाबत अभियुक्त विजेन्द्र
9–प्रदर्श पी–09 फर्द गिरफ्तारी मुलजिम विजेन्द्र
10–प्रदर्श पी–10 फर्द रिसील्ड
11–प्रदर्श पी–11 रोजनामचा वापसी रपट दिनांक 09.06.2018
12–प्रदर्श पी–12 चॉक प्रथम सूचना रिपोर्ट
13–प्रदर्श पी–13 धारा 57 अधिनियम 1985 की उच्चाधिकारियों की सूचना
14–प्रदर्श पी–14 फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल
15–प्रदर्श पी–15 फर्द नमूना सील
16–प्रदर्श पी–16 फर्द नमूना रिसील्ड
17–प्रदर्श पी–17 विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु पुलिस अधीक्षक अजमेर को लिखा पत्र
18–प्रदर्श पी–18 विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा लिखा पत्र
19–प्रदर्श पी–19 पुलिस अधीक्षक अजमेर को (एफएसएल) विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु लिखा पत्र
20–प्रदर्श पी–20 पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला हेतु लिखा पत्र
21–प्रदर्श पी–21 (एफएसएल) विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राप्ति रसीद
22–प्रदर्श पी–22 जब्तशुदा वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
23–प्रदर्श पी–23 जब्तशुदा वाहन का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
24–प्रदर्श पी–24 जब्तशुदा वाहन का इंश्योरेन्स

25–प्रदर्श पी–25 विधि विज्ञान प्रयोगशाला से एतराज बाबत पत्र
26–प्रदर्श पी–26 विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट
27–प्रदर्श पी–27 से प्रदर्श पी–29 धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना बाबत अभियुक्त विजेन्द्र
28–प्रदर्श पी–30 फर्द नक्शा मौका तस्दीक ग्राम बघराई
29–प्रदर्श पी–31 फर्द नक्शा मौका तस्दीक ग्राम भामासी
30–प्रदर्श पी–32 फर्द घटनास्थल तस्दीक बिडकचियावास
31–प्रदर्श पी–33 फर्द जब्ती कार्ड रीडर 8 जीबी
32–प्रदर्श पी–34 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त राजेश
33–प्रदर्श पी–35 फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त कृष्ण कुमार
34–प्रदर्श पी–36 से प्रदर्श पी–42 फर्द ईत्तला धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वारा अभियुक्त राजेश
36–प्रदर्श पी–43 फर्द ईत्तला धारा 27 अभियुक्त विजेन्द्र
37–प्रदर्श पी–44 अभियुक्त विजेन्द्र के मोबाईल की सीडीआर बाबत पुलिस अधीक्षक, अजमेर को लिखा गया पत्र
38–प्रदर्श पी–45 अभियुक्त विजेन्द्र के मोबाईल की सीडीआर, डिटेल बाबत पुलिस अधीक्षक, अजमेर को लिखा गया पत्र
39–प्रदर्श पी–46 अभियुक्त विजेन्द्र के मोबाईल के कैप हेतु लिखा पुलिस अधीक्षक अजमेर को लिखा गया पत्र
40–प्रदर्श पी–47 से प्रदर्श पी–49 सीडीआर हेतु पुलिस अधीक्षक, अजमेर को लिखा पत्र
41–प्रदर्श पी–50 से प्रदर्श पी–54 सीडीआर
42–प्रदर्श पी–55 नोटिस धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम
43–प्रदर्श पी–56 जिला परिवहन अधिकारी चुरू को तहरीर
44–प्रदर्श पी–57 जिला परिवहन अधिकारी चुरू को वर्तमान स्वामी बाबत तहरीर
45–प्रदर्श पी–58 जिला परिवहन अधिकारी जयपुर को लिखा गया पत्र
46–प्रदर्श पी–59 टोल प्लाजा मंगलाना का रिकॉर्ड
47–प्रदर्श पी–60 से प्रदर्श पी–62 अभियुक्तगण विजेन्द्र, कृष्ण

कुमार व राजेश के आपराधिक रेकार्ड
48–प्रदर्श पी–63 मूल मालखाना रजि. जिसकी प्रति प्रदर्श 63 ए
49–प्रदर्श पी–64 आरोप पत्र
50–प्रदर्श पी–65 रोजनामचा रपट
51–प्रदर्श पी–66 फार्म 24 मोटर व्हीकल रजिस्टर
52–प्रदर्श पी–67 मूल आरसी का लिफाफा जब्तशुदा वाहन
53–प्रदर्श पी–68 सीडीआर प्राप्त करने का पत्र
54–प्रदर्श पी–69 धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
55–प्रदर्श –70 धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
56–प्रदर्श –71 धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र
56–प्रदर्श पी–71 धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम प्रमाण पत्र

6– अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द.प्र.सं. दिनांक 22–10–2019 को लेखबद्ध किये गये, जिस पर अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बतलाया व अभियुक्त ने उसे झूंठा फंसाया गया होना बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना बताया एवं परिवहन में डोडा पोस्त के संबंध में कोई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष जानकारी नहीं होना, पुलिस द्वारा तथाकथित जब्त किये गए वाहन के चालक को उसके द्वारा कभी भी ड्राईवर नहीं रखने न ही दूरभाष पर वार्तालाप होने का कथन किया। उक्त वाहन का दिनांक 06.08.2018 को उसके चाचा की बच्ची सीमा का बासंडा का समारोह होने से घर पर ही रहने तथा उसने अपने चाचा को मेहमान लाने– ले जाने हेतु सुपुर्द कर रखने का भी कथन किया। इस संबंध में उसके द्वारा जांच अधिकारी को परिवाद व गवाहान पेश करने एवं जांच अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच नहीं कर उसे झूंठा फंसाया जाना बताया है। उसके अनन्य कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई। उसके लीवर का ऑपरेशन होने से वह घर पर ही रहने का कथन किया है एवं साक्ष्य प्रतिरक्षा में

बावजूद दिये जाने अवसर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

7– बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय को यह विचार करना है कि–

**1– क्या दिनांक 09.06.18 को समय 1.00 एएम या उसके लगभग टोल नाका बिडकचियावास अजमेर पर टोयटा इनोवा कार संख्या आरजे–10–यूए–0267 में रखे 9 प्लास्टिक कट्टों में मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्त का चूरा कुल 157.900 किलोग्राम बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुआ तथा घटना के समय अभियुक्त कृष्ण कुमार के नाम पंजीकृत उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आरजे–10–यूए–0267 को मादक पदार्थ के परिवहन के प्रयोजन में अभियुक्त विजेन्द्र कुमार द्वारा प्रयुक्त किया गया ?**

**2. यदि हॉ, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी है?**

8– विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस यह तर्क दिये गये कि अभियुक्त कृष्ण कुमार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का पंजीकृत स्वामी है, जिसके द्वारा अभियुक्त विजेन्द्र के साथ मिलकर अवैध मादक पदार्थ का अपने वाहन में जिस प्रकार से परिवहन करवाया गया, उससे अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध में जानबूझकर अपने वाहन को संलिप्त किया गया है तथा अभियोजन गवाहान के कथनों एवं अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजों से अभियुक्त कृष्ण कुमार के विरूद्ध धारा 8/25 अधिनियम, 1985 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित है, अतः अभियुक्त को उक्त अपराध के तहत दोषसिद्ध किया जावे।

9– उक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता–बचाव

पक्ष ने तर्क दिये हैं कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य आरोपी अभियुक्त विजेन्द्र रहा है, जिसे न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किया जा चुका है। अभियुक्त कृष्ण कुमार का अभियुक्त विजेन्द्र से कोई संबंध नहीं रहा है साथ ही किसी प्रकार के मादक पदार्थ का परिवहन करने व करवाने में अभियुक्त कृष्ण कुमार की कोई भूमिका नहीं रही है । अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

10– बहस उभय पक्षकारान सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय के समक्ष जो विचारणीय बिन्दु है, उसके निस्तारण बाबत सर्वप्रथम यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त कृष्ण कुमार को प्रकरण में जब्तशुदा वाहन का वरवक्त जब्ती स्वामी होने के आधार पर इस प्रकरण में संलिप्त पाया है, जिसे सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

11– न्यायालय के समक्ष जो विचारणीय बिन्दु है उसे साबित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में कुल 17 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, उक्त गवाहान के कथनों का अवलोकन करें तो गवाह पी.डब्ल्यू–1 डॉ. अमृता दुहन ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.18 को पुलिस थाना मांगलियावास पर एसएचओ के पद पर पदस्थापित थी, उस दिन समय रात 11 से 1 बजे तक अजमेर शहर के सभी थाना अधिकारियों द्वारा नाकाबंदी की जानी थी तो वह भी नसीराबाद रोड बिडकचियावास टोल नांके पर नाकाबंदी करने गई थी, जिसकी रवानगी प्रदर्श पी 1 है। समय 1 बजे नाकाबंदी ड्यूटी पूरी करने के बाद वापस थाना मांगलियावास पर जा रही थी साथ में एएसआई श्री कुलदीपसिंह, चालक देवाराम मय सरकारी वाहन गये थे, साथ में श्री गोपाराम हैड कांस्टेबल व जाब्ता कांस्टेबल अनिल, वेदप्रकाश, भागचंद व सरकारी जीप ने भी उसके साथ नाकाबंदी के दौरान ड्यूटी की। बिडकचियावास

चौराहा पर समय करीब 1.05 एएम पर बिडकचियावास गांव की तरफ से एक काले शीशे का जब्तशुदा वाहन आता हुआ दिखा जिसके शीशे काले थे, चैक करने हेतु उसे ईशारा देकर रूकवाया, जब्तशुदा वाहन के नम्बर आरजे–10–यूए–0267 थे, चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम विजेन्द्र पुत्र दयाचंद जाति जाट उम्र 29 साल बताया इतने में चालक के बराबर वाली सीट पर बैठा व्यक्ति एकदम उतरकर भागा और अंधेरे का फायदा उठाकर झांडियों में घुस गया, गाडी के अंदर देखा तो प्लास्टिक भरे हुये कट्टे नजर आये जिसपर तुरन्त डी.ओ नाकाबंदी पोइंट टोल नाका बिडकचियावास से श्री गोपाराम हैडकांस्टेबल, वेदप्रकाश व भागचंद को मौके पर बुलाया। करीब 1.20 पर उपस्थित आये, उनके सामने चालक का नाम बताते हुये उक्त जब्तशुदा वाहन को चैक किया तो जब्तशुदा वाहन के ड्राईवर सीट के पीछे वाली सीट पर एक प्लास्टिक का कट्टा भरा हुआ पाया, जब्तशुदा वाहन की डिक्की खोल कर देखा तो आठ प्लास्टिक के कट्टे भरे हुये रखे पाये गये, जिनको खोलकर देखा अफीम डोडा पोस्त का चूरा भरा हुआ मिला, उक्त चालक से गाडी में से भागने वाले साथी का नाम पूछा तो विजयपाल निवासी भामासी जिला चुरू बताया, उसके बाद एएसआई श्री कुलदीप सिंह ने भी कट्टो में भरे अफीम को डोडा पोस्त का चूरा होना बताया तथा उसने भी डोडा पोस्त का चूरा होना पाया, चालक विजेन्द्र सिंह पूछने पर भी उसने अफीम डोडा पोस्त का चूरा होना बताया जिसपर चालक विजेन्द्र से डोडा पोस्त का चूरा इतना अधिक मात्रा में होने से उससे लाईसेन्स व परमिट बाबत पूछा तो नहीं होना बताया, इस पर विजेन्द्र का कृत्य धारा 8/15 अधिनियम 1985 का होना पाये जाने पर उक्त डोडा पोस्त की विधि अनुसार जब्ती की कार्यवाही शुरू करने हेतु कांस्टेबल वेदप्रकाश को अपने पास रोक कर गोपाराम हैड कांस्टेबल और भागचंद चालक को मय सरकारी जीप के स्वतंत्र गवाह व कॉटा बॉट लाने हेतु हुक्मनामा समय करीब 1.30 ए.एम. पर देकर रवाना किया जो करीब 2.15 ए.एम. पर उपिस्थत आकर एक इलेक्ट्रोनिक कॉटा पेश किया व रात्रि का समय होने के कारण स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने बाबत बताया, जिस पर हमराह जाब्ता

में से एएसआई कुलदीपसिंह व वेदप्रकाश कांस्टेबल को स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह के बाबत लिखित सहमति ली। गवाहों के समक्ष मुलजिम विजेन्द्र के कब्जे से मिले 9 प्लास्टिक कट्टों की जब्ती प्रक्रिया शुरू की, इलेक्ट्रोनिक कॉटे पर तोला गया, सबका तोल कुल 157.900 किलोग्राम पाया गया, इनमें से प्रत्येक कट्टे में से 500 ग्राम सैम्पल व 500 ग्राम कन्ट्रोल सैम्पल तोल कर निकाला गया, नमूना सैम्पल पर मार्का ए–1 से आई–1 अंकित किया गया, कन्ट्रोल सैम्पल पर मार्का ए–2 से आई–2 अंकित किया गया। सील की नष्टीकरण कार्यवाही की। इसमें करीब सुबह के 5 बज गये फिर हमने उसकी जब्तशुदा वाहन जब्ती की फिर मुलजिम को धारा 52 अधिनियम 1985 का नोटिस देकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया। जब्तशुदा माल सहित थाने पहुंचकर एचएम मालखाने को सुपुर्द किया, रिसील्ड की कार्यवाही की, रोजनामा में पूरी रिपोर्ट का इन्द्राज किया व एफआईआर दर्ज करवाई, धारा 57 अधिनियम 1985 की सूचना उच्च अधिकारियों को प्रेषित की, तफतीश एसएचओ पीसागंन को सुपुर्द की गई, अनुसंधान के दौरान उसकी निशांदेही से नक्शा मौका बनाया गया। प्रदर्श पी 2 स्वतंत्र गवाह व कॉटा बॉट लाने हेतु हुक्मनामा जारी किया है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी गोपाराम द्वारा स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने बाबत लिखित रिपोर्ट है तथा ई से एफ गोपाराम के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 3 फर्द सहमति गवाहान वास्ते कुलदीप सिंह एएसआई है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी कुलदीपसिंह द्वारा स्वतंत्र गवाह की सहमति बाबत इबारत है तथा ई से एफ कुलदीप सिंह के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 4 वेदप्रकाश कांस्टेबल को स्वतंत्र गवाह बनाने की फर्द सहमति है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी वेदप्रकाश की गवाह बनने की सहमति है, ई से एफ वेदप्रकाश के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 5 फर्द जब्ती अवैध अफीम डोडा पोस्त है जिस पर प्रत्येक पेज पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा सी से डी मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, ई से एफ कुलदीप सिंह कांस्टेबल व जी से एच कांस्टेबल वेदप्रकाश के हस्ताक्षर हैं। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रदर्श पी 6 फर्द जब्ती जब्तशुदा वाहन है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी

मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, ई से एफ कुलदीप के हस्ताक्षर है, जी से एच कांस्टेबल वेदप्रकाश के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 7 फर्द नमूना सील नष्टीकरण है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी कुलदीपसिंह के हस्ताक्षर है, ई से एफ कांस्टेबल वेदप्रकाश के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रदर्श 8 नोटिस धारा 52 अधिनियम जो मुलजिम विजेन्द्र को दिया है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी भाग पर गिरफ्तारी की सूचना बाबत विजेन्द्र की लिखित है, ई से एफ विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, प्रदर्श पी 9 फर्द गिरफ्तारी मुलजिम विजेन्द्र है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी अभियुक्त विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, ई से एफ कुलदीपसिंह कांस्टेबल के हस्ताक्षर हैं, जी से एच वेदप्रकाश के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 10 फर्द रिसील्ड है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी गिरधारी लाल कांस्टेबल के हस्ताक्षर है, ई से एफ मोहनलाल हैड कांस्टेबल के हस्ताक्षर है एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रदर्श पी 11 रोजनामचा वापसी की रपट है जिसमें सम्पूर्ण हालात विवरण लिखा है तथा प्रदर्श पी 12 प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 13 धारा 57 अधिनियम 1985 की उच्च अधिकारियों की सूचना है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 14 फर्द नक्शा मौका घटनास्थल है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 15 फर्द नमूना सील है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। प्रदर्श पी 16 फर्द नमूना रिसील्ड सील है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। एफएसएल हेतु पुलिस अधीक्षक अजमेर को लिखा पत्र प्रदर्श पी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। एफएसएल हेतु पुलिस अधीक्षक अजमेर को लिखा गया पत्र प्रदर्श पी 18 है। प्रदर्श पी 19 पुलिस अधीक्षक अजमेर को एफएसएल हेतु लिखा पत्र है तथा प्रदर्श पी 20 पुलिस अधीक्षक द्वारा एफएसएल हेतु लिखा पत्र है। प्रदर्श पी 21 एफएसएल की प्राप्ति रसीद है। प्रदर्श पी 22 जब्तशुदा वाहन की मूल आर सी है। प्रदर्श पी 23 प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जब्तशुदा वाहन का है। प्रदर्श पी 24 वाहन टोयटा जब्तशुदा

वाहन का इंशोरेन्स है जिस पर शामिल पत्रावली के नोट के साथ ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी 25 एफएसएल से एतराज बाबत जो पत्र आया वह है। प्रदर्श पी 26 एफएसएल रिपोर्ट है। प्रकरण में जब्तशुदा कथित मादक पदार्थ पुलिस थाना मांगलियावास ने पेश किया जो कुल 9 कट्टों में सीलबंद है तथा 9 छोटे कपडों की थेली में नमूना सील सैम्पल है जो एफएसएल सीलशुदा है व 9 कपडों की थेली में कन्ट्रोल सैम्पल है। मार्का ए से आई जो कि आर्टिकल 1 से 9 है जिस पर चिट चेपा पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, शेष गवाहान के हस्ताक्षर है। एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा वाई स्थान पर रिसील अंकित है। 9 छोटे कपडों की थैली में सीलबंद हालत में नमूना सैम्पल है जो मार्का ए1 से आई 1 है आर्टिकल 10 से 18 है जिस पर चिट चेपा पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, शेष गवाहान के हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा वाई स्थान पर रिसील अंकित है। मार्का ए2 से आई 2 आर्टिकल 19 से 27 है जिस पर चिट चेपा पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है, शेष गवाहान के हस्ताक्षर है,एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है तथा वाई स्थान पर रिसील अंकित है।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि दिनांक 08.06.18 को पुलिस थाना मांगलियावास पर मैं एसएचओ के पद पर नियुक्त थी, इस संबंध में कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। मेरे पास थाना मांगलियावास का स्वतंत्र चार्ज था। मेरे सुपरवाईजर पुलिस अधीक्षक, अजमेर थे। यह बात सही है कि पुलिस अधीक्षक अजमेर द्वारा मुझे पुलिस थाना मांगलियावास का स्वतंत्र चार्ज बाबत कोई भी आदेश पत्रावली पर नहीं है। यह बात सही है कि राज्य सरकार का भी पुलिस थाना मांगलियावास का स्वतंत्र चार्ज बाबत कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया था, ना ही तलाशी से पूर्व कोई सूचना लिखित रूप में अपने उच्चाधिकारियों को प्रेषित की। गवाह ने एफएसएल में नमूने जमा कराने से पूर्व उनसे छेड़छाड़ किये जाने बाबत

तथ्यों को गलत होना जाहिर किया है।

12- गवाह पी.डब्ल्यू-2 गिरधारीलाल ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 09.06.18 को पुलिस थाना मांगलियावास पर कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, उस दिन आईपीएस प्रोबेशनर थानाधिकारी डॉ. अमृता सिंह ने उसके समक्ष अवैध अफीम डोडा पोस्त प्लास्टिक के 9 कट्टे मार्का ए से आई व नमूना सैम्पल मार्का ए 1 से आई 1 व कन्ट्रोल सैम्पल ए 2 से आई 2 को उसके सामने पुनः रिसील्ड किया व मालखाना इन्चार्ज को सुपुर्द किया। फर्द रिसील्ड प्रदर्श पी 10 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि रिसील्ड की सील कौनसी थी, मैं नहीं बता सकता। मालखाना प्रभारी के हस्ताक्षर रिसील्ड पर करवाये थे। यह मुझे जानकारी नहीं है कि नष्ट की हुई सील मालखाना प्रभारी को दी हो।

13- गवाह पी.डब्ल्यू-3 प्रेमलता ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसे दिनांक 09.06.18 को जरिये टीपी अवगत कराया गया कि थाना मांगलियावास का मुकदमा नम्बर 108/18 की तफतीश उसके जिम्मे की गई है। उस दौरान वह उप निरीक्षक थानाधिकारी पीसांगन के पद पर कार्यरत थी उसके बाद वह हमराहीयान के थाना मांगलियावास पर पहुंचे जहां मुलजिम विजेन्द्र हवालात में था। विजेन्द्र के बारे में उसे कार्यवाहक एसएचओ अमृता दुहन आईपीएस पीएस मांगलियावास ने बताया मुलजिम विजेन्द्र से पूछताछ की गई। दिनांक 09.06.18 को समय 7.00 पी.एम. पर दौराने पूछताछ मुलजिम विजेन्द्र ने स्वेच्छा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि उसने व विजयपाल ने जब्तशुदा वाहन में अवैध अफीम डोडा पोस्त कोटा से जिस स्थान से भरकर लाये वह स्थान चलकर बता सकता है, जो प्रदर्श पी 27 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी नंदकिशोर व ई से एफ रमेश के हस्ताक्षर है व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है। चूंकि समय सायंकाल का होने की वजह से वह आईओ

मांगलियावास थाने से रवाना होकर थाना पीसागंन पर पहुंची व मुलजिम विजेन्द्र को बंद हवालात कर सुपुर्द संतरी पहरा किया गया। दिनांक 12.06.18 को पुनः मुलजिम विजेन्द्र द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो प्रदर्श पी 28 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी कमल, ई से एफ प्रकाश, जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है। दिनांक 13.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र द्वारा पुनः 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो प्रदर्श 29 है जिसपर ए से बी उसके, सी से डी मनेश, ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है। दिनांक 17.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र की निशांदेही से स्थान सरहद ग्राम बघराई का नक्शामौका तस्दीक किया गया जो प्रदर्श पी 30 है जिसपर बताया कि मै स्वयं व विजयपाल द्वारा जब्तशुदा वाहन में चालक सीट पर बैठना व अवैध अफीम डोडा पोस्त वाहन में होना बताया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी संजय व ई से एफ हेमाराम व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर आरोपी विजेन्द्र स्वयं को विजयपाल द्वारा जब्तशुदा वाहन में चालक सीट पर बैठाना बता रहा है। दिनांक 17.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र द्वारा आरोपी विजयपाल का मकान ग्राम भामासी जिला चुरू तस्दीक कराया गया जो प्रदर्श पी 31 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी हेमाराम व ई से एफ संजय व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर विजयपाल का ग्राम भामासी में मकान है का नक्शा है। दिनांक 19.07.18 को मुलजिम राजेश द्वारा घटनास्थल बिडकचियावास चैराहा का घटनास्थल तस्दीक कराया गया जो प्रदर्श पी 32 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी रामकिशन व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है जिसमें एक्स स्थान पर घटनास्थल दर्शाया गया है जहां पर मुलजिम राजेश ने घटनास्थल होना बताया। दिनांक 17.07.18 को केशव प्लाजा के अंदर विवाह स्टूडियो रतननगर से फोटोग्राफर व स्टूडियो मालिक श्री सूरज के द्वारा पेश की गई कार्ड रीडर 8 जीबी जो जरिये फर्द प्रदर्श पी 33 जब्त की गई जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी सूरज व ई से एफ हरिराम व जी से एच देवीलाल के

हस्ताक्षर है। दिनांक 18.07.18 को मुलजिम राजेश पुत्र मनीराम धारा 8/15 व 29 अधिनियम 1985 में जरिये फर्द प्रदर्श पी 34 गिरफ्तार किया गया जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी मुलजिम राजेश कुमार व ई से एफ संजय व जी से एच प्रकाश के हस्ताक्षर है। दिनांक 03.07.18 को मुलजिम कृष्ण कुमार पुत्र महावीर को प्रकरण में जरिये फर्द रूबरू गवाहान सरजीत व रेखराज गिरफ्तार किया गया जो प्रदर्श पी 35 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी सरजीत व ई से एफ रेखराज व जी से एच मुलजिम कृष्ण कुमार के हस्ताक्षर है। दिनांक 27.07.18 को मुलजिम राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई कि एस्कोर्ट में प्रयुक्त वाहन क्रेटा आर जे 14 9647 जो उसके दोस्त विजयपाल शर्मा के पास है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है इत्तला मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 36 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी रामाकिशन व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 26.07.18 को मुलजिम राजेश ने 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी कि एस्कोर्ट में प्रयुक्त वाहन क्रेटा आर जे 14 9647 उसके भाई अशोक के पास गुवाहाटी असम में है जिसको वह चल कर बता सकता है। इत्तला रूबरू गवाहान रामाकिशन व प्रकाश के मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 37 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी रामाकिशन व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 23.07.18 को मुलजिम राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दी गई जो रूबरू गवाहान संजय व प्रकाश के मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 38 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व से सी डी संजय व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक 20.0718 मुलजिम राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जो रूबरू गवाहान रामाकिशन व प्रकाश के मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 39 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी रामाकिशन व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम के हस्ताक्षर है। दिनांक  21.07.18 को मुलजिम राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जिसे रूबरू गवाहान संजय व प्रकाश के मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 40 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व

सी से डी संजय व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 22.07.18 को मुलजिम राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जिसे रूबरू गवाहान संजय व प्रकाश के मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 41 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी संजय व ई से एफ प्रकाश व जी से एच मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 19.07.18 को अभियुक्त राजेश द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जिसे रूबरू गवाहान रामाकिशन व प्रकाश के मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 42 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी प्रकाश व ई से एफ रामाकिशन व जी से एच मुलजिम राजेश के हस्ताक्षर है। दिनांक 17.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र द्वारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला दी गई जिसे रूबरू गवाहान संजय व खेमाराम के मुर्तिब किया जो प्रदर्श पी 43 है जिसपर ए से बी उसमे हस्ताक्षर है व सी से डी संजय व ई से एफ खेमाराम व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर है। दिनांक 12.06.18 को मोबाईल नम्बर 9413907625 जो मुलजिम विजेन्द्र के थे सीडीआर पुलिस अधीक्षक कार्यालय अजमेर से मंगवाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 44 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र के मोबाईल की आईएमईआई नम्बर 863499031151980 की सीडीआर व डिटेल मंगवाने हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 45 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.06.18 को मुलजिम विजेन्द्र के मोबाईल नम्बर 9413907625 के कैफ हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 46 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 21.06.18 को मोबाईल नम्बर 95498226721 की सीडीआर हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 47 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 01.07.18 को मोबाईल नम्बर 9928606748 व 9829124971 की सीडीआर व डिटेल्स हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 48 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 08.07.18 को मोबाईल नम्बर 8375088190,

9660048239, 914584262, 9351752588 व 9588537812 की सीडीआर व डिटेल्स हेतु कार्यालय पुलिस अधीक्षक अजमेर को पत्र प्रेषित किया गया जो प्रदर्श पी 49 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम विजेन्द्र के मोबाईल नम्बर 9413907625 की सीडीआर का अवलोकन किया गया तो वक्त घटना अंतिम बार मोबाईल नम्बर 9928606743 का मोबाईल नम्बर सीडीआर में मिला जिसका पृथक से सीडीआर मंगवाई गई जो प्रदर्श पी 50 है जो 8 पेजो में है। मोबाईल नम्बर 9929124971 की सीडीआर का अवलोकन किया गया तो दिनांक घटना को मोबाईल नम्बर 9660048239 से लोकेशन छोडते वक्त बात करना पाया गया व मोबाईल नम्बर 9929124971 का अवलोकन किया गया तो मोबाईल नम्बर 9660048239 व 9928606748 का आपस में बातचीत करना पाया गया जो प्रदर्श पी 51 है जो 6 पेजों में है। मोबाईल नम्बर 9660048239 की सीडीआर का अवलोकन किया गया तो दिनांक घटना मोबाईल नम्बर 9829124971 व 9928606748 से बातचीत करना पाया गया व दिनांक घटना उक्त तीनो नम्बरों की लोकेशन एक जगह होने के पश्चात मोबाईल नम्बर 9660048239 का मोबाईल नम्बर दिनांक घटना को लोकेशन चांद कोठी जिला चूरू छोडते वक्त मोबाईल स्विच ऑफ कर लिया गया जिसका जरिये नेटवर्क व केफ सीडीआर से मालूमात किया तो उक्त मोबाईल नम्बर 9660048239 व मोबाईल नम्बर 9145848262 से बार बार बात करना सामने आया उक्त 9660048239 नम्बर आरोपी राजेश द्वारा प्रयोग में लिया जाना पाया सिम अपने भतीजे सुरेन्द्र के नाम होना पाया गया व मोबाईल नम्बर 9145848262 आरोपी राजेश की पत्नी किरण द्वारा प्रयोग करना पाया गया जो भी आरोपी के भतीजे संदीप के नाम होना पाया जो प्रदर्श पी 52 है जो 11 पेजों में है। मोबाईल नम्बर 9145848262 की सीडीआर का अवलोकन किया गया तो मोबाईल नम्बर 9660048239 से लगातार बात होना पाया गया व दिनांक घटना को मोबाईल नम्बर 9145848262 द्वारा मोबाईल नम्बर 9660048239 के बंद होने से मोबाईल नम्बर 9829124971 व 9928606748 पर वक्त घटना व

बाद घटना के लगातार बात करना पाया गया जो प्रदर्श पी 53 है जो 7 पेजों में है। मोबाइल नम्बर 8375088190 की सीडीआर का अवलोकन किया गया तो मोबाईल नम्बर 9829124971 व मोबाईल नम्बर 9660048239 से लगातार बात होना पाया गया जो नम्बर मुलजिम विजेन्द्र के नाम होना सीडीआर कैफ में होना पाया गया जो प्रदर्श पी 54 है जो 2 पेजों में है। दिनांक 17.07.18 को सूरज भार्गव पुत्र राजेन्द्र प्रसाद को 65 बी साक्ष्य अधिनियम का नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 55 है जिसपर ए से बी सूरज भार्गव की तहरीर है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर वास्ते पत्र शामिल पत्रावली है। दिनांक 05.10.18 को जिला परिवहन अधिकारी चुरू को वाहन संख्या आरजे 10 यूए 0267 के स्वामी बाबत सम्पूर्ण रिकोर्ड हेतु तहरीर प्रेषित की गई जो प्रदर्श पी 56 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 12.06.18 को जिला परिवहन अधिकारी चूरू को वाहन स्वामी आर जे 10 यूए 0267 के वर्तमान वाहन स्वामी बाबत तहरीर प्रेषित की गई जो प्रदर्श पी 57 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 21.07.18 को जिला परिवहन अधिकारी जयपुर को उसके द्वारा वाहन आर जे 14 यूए 9647 के वाहन स्वामी बाबत पत्र प्रेषित किया गया जिसपर मूल पत्र पर ही जिला परिवहन अधिकारी जयपुर द्वारा वाहन स्वामी सवाई गोपाल आचार्य पुत्र स्वामी नारायण आचार्य व द्वितीय स्वामी फेलीराम पुत्र कालूराम निवासी ग्राम वाघारिया तहसील चाकसू होना बताया व दिनांक 13.07.15 को दौसा जिले को एनओसी जारी करना बताया जो प्रदर्श पी 58 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी जिला परिवहन अधिकारी जयपुर की रिपोर्ट है व ई से एफ सील मोहर व हस्ताक्षर जिला परिवहन अधिकारी जयपुर के है। दिनांक 25.07.18 को रीडकोर प्लाजा मंगलाना  द्वारा एक तहरीर भिजवाई गई जिसमें बताया कि गाडी नम्बर 9647 व 0267 की टोल प्लाजा मंगलाना से जाने का रिकोर्ड व गाडी नम्बर लिस्ट मांगलियावास थाने को उपलब्ध करवाया जाना बताया जो प्रदर्श पी 59 है जिसे शामिल पत्रावली किया गया जो 2 पेज में है। दौराने अनुसंधान मुलजिमान विजेन्द्र, कृष्ण कुमार व राजेश के आपराधिक रिकोर्ड जरिये

मेल थानों से मंगवाये गये जो बाद अनुसंधान शामिल पत्रावली किये गये। मुलजिम विजेन्द्र का थाना हमीरवास से आपराधिक रिकोर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 60 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम कृष्ण कुमार का आपराधिक रिकोर्ड थाना दूधवाखारा जिला चूरू से मंगवाया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 61 है। मुलजिम राजेश का आपराधिक रिकोर्ड पुलिस थाना हमीरवास से मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो प्रदर्श पी 62 है। दौराने अनुसंधान जिला परिवहन अधिकारी चूरू से वाहन संख्या आर जे 10 यूए 0267 की आर सी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई जो पत्र प्रदर्श पी 66 है जिसकी मूल आर सी प्रदर्श पी 67 है। दौराने अनुसंधान मोबाईल नम्बर 9549826721 की कॉल डिटेल दिनांक 01.05.18 से दिनांक 10.06.18 सीडीआर प्राप्त की जिसका पत्र प्रदर्श पी 68 है जिसका धारा 65 बी का प्रमाण पत्र नोडल अधिकारी रिलायंस कम्पनी के द्वारा जारी किया गया जो प्रदर्श पी 69 है, जो 11 पृष्ठों में है। मोबाईल नम्बर 9413907625 का सर्टिफिकेट 65 बी का प्रदर्श पी 70 है जिसकी सीडीआर पेज नम्बर 13 लगायत 21 है। मोबाईल नम्बर 9660048239, 9928606748, 9829124971 की कॉल डिटेल दिनांक 01.05.18 से दिनांक 13.06.18 का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 71 है जिसकी सम्पूर्ण सीडीआर पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली का सम्पूर्ण अनुसंधान कर अग्रिम अनुसंधान हेतु अमरचंद जी एएसआई पीएस पीसागंन को मन आईओ का स्थानान्तरण होने पर जयपुर रेंज होने पर सुपुर्द की गई।

जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि बाद प्राप्ति पत्रावली अनुसंधान हेतु थाना मांगलियावास पर जाने की आमद व वापसी रपट पत्रावली में मौजूद नहीं है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–63 ए पर मेरे तस्दीक बाबत कोई इन्द्राज व पृष्ठांकन नहीं है। यह सही है कि प्रदर्श पी–7 व प्रदर्श पी–15 दोनों फर्दे नमूना सील अलग–अलग है। यह कहना सही है कि मुलजिम विजेन्द्र के द्वारा माल किस व्यक्ति से खरीदा गया था यह साक्ष्य भी पत्रावली में मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि इस प्रकरण में थाना अधिकारी, मांगलियावास को

जब्ती अधिकारी डॉ. अमृता दुहन के द्वारा कोई कायमी रिपोर्ट दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था। यह बात सही है कि प्रदर्श पी–70 के पेज नंबर 17 व 18 में तथाकथित बरामदगी स्थल पर मुलजिम विजेन्द्र के मोबाईल नंबर की टावर लोकेशन नहीं आ रही है। आगे अभियुक्त राजेश के बाबत जिरह में कथन किया कि यह बात सही है कि एफआईआर में कहीं भी मुलजिम राजेश का नाम नहीं है। दौराने अनुसंधान राजेश का नाम प्रकरण में पाया जाना व मुखबिर खास द्वारा बताने व तत्पश्चात आरोपी राजेश के मोबाइल नम्बर व आरोपी राजेश के साथ वक्त घटना मौजूद रहे व्यक्तियों व मुजजिम राजेश की पत्नी के मोबाईल नम्बर के बारे में सीडीआर का अवलोकन कर मुलजिम राजेश का उक्त प्रकरण मे आरोपी बनना पाया गया। यह कहना गलत है कि मुख्य अभियुक्त विजेन्द्र ने अभियुक्त राजेश कुमार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। विजेन्द्र ने पूछताछ के दौरान मुलजिम राजेश का भी अपराध में शरीक होना बताया है। यह कहना सही है कि अनुसंधान के दौरान ऐसा कोई मोबाईल नम्बर नहीं मिला जो कि मुलजिम राजेश कुमार के नाम रजिस्टर्ड हो। यह कहना गलत है कि मुलजिम राजेश कुमार को मौके से गिरफ्तार किया हो। यह बात सही है कि मेरे थाना मांगलियावास पर जाने की आमद व वापसी रपट पत्रावली पर मौजूद नहीं है। यह बात सही है कि दिनांक 10.06.18 को थाना पीसागंन से रवानगी आमद की रपट पत्रावली पर नहीं है और ना ही मैं आज अपने साथ लेकर आई हूॅ।

14– गवाह पी.डब्ल्यू–4 सुरेश ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 11.06.18 को पुलिस थाना मांगलियावास से मय माल मय एफएसएल लेटर के रवाना होकर श्रीमान एसपी साहब कार्यालय एफएसएल शाखा से एफएसएल लेटर बनवाया एफएसएल लेटर बनवाकर एसपी ऑफिस से रवाना होकर पुलिस थाना मांगलियावास पहुंचा। फिर वहां माल जमा मालखाना करवाया। फिर दिनांक 12.06.18 को एफएसएल लेटर मय माल के लेकर एफएसएल जयपुर के लिये रवाना हुआ। फोरेंसिक लेब, जयपुर पहुचकर वहां माल

जमा करवाना चाहा लेकिन पैकेट ई-1 पर एक ही प्रकार की सील लगी होने से एफएसएल शाखा ने ऐतराज कर दिया जिस पर माल को पुनः प्राप्त कर एफएसएल शाखा जयपुर से रवाना होकर पुलिस थाना मांगलियावास पहुचा जहां पर आईओ को इस बारे में अवगत करवाया व माल को जमा मालखाना करवाया। फिर दिनांक 13.06.18 को बाद एतराज पूर्ति एफएसएल लेटर मय माल के लेकर एसपी ऑफिस अजमेर के लिये रवाना हुआ। एफएसएल शाखा पहुंच कर एफएसएल में माल जमा करवाने हेतु लेटर बनवाया एफएसएल लेटर मय माल के लेकर पुलिस थाना मांगलियावास पहुंचा। माल जमा मालखाना करवाया। फिर दिनांक 14.06.18 को एफएसएल लेटर मय माल के लेकर एफएसएल शाखा, जयपुर के लिये रवाना हुआ। जयपुर एफएसएल शाखा पहुँचकर माल को जमा करवाना चाहा जिसपर माल जमा कर रसीद प्राप्त की। रसीद प्राप्त कर जयपुर से अजमेर पहुंचा। रात्रि का समय होने से सुबह पुलिस थाना मांगलियावास पहुँच गया। माल प्राप्ति संबंधी रसीद मालखाना एचएम को दी। दिनांक 11.06.18 को थाना मांगलियावास का पत्र प्रदर्श पी 17 है। दिनांक 11.06.18 का एसपी का पत्र प्रदर्श पी 18 है। दिनांक 12.06.18 को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर का पत्र प्रदर्श पी 25 है। दिनांक 13.06.18 का बाद ऐतराज पूर्ति थाना मांगलियावास का पत्र प्रदर्श पी 19 है। कार्यालय पुलिस अधीक्षक का पत्र दिनांक 13.06.18 प्रदर्श पी 20 है। कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी 21 है। मालखाना मूल रजिस्टर प्रदर्श पी 63 है, जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 63 ए है जिसपर ए से बी भाग उसकी आमद व रवानगी है व सी से डी 8 जगह उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ 8 जगह मालखाना इन्चार्ज के हस्ताक्षर है।

जिरह में गवाह ने कथन किया कि यह बात सही है कि इस प्रकरण में मै दो बार एफएसएल जयपुर गया था। मैं प्रथम बार दिनांक 11.06.18 को एफएसएल जयपुर गया था। मैं थाने से नमूना लेकर दिनांक 11.06.18 को ही निकला था। नमूने जयपुर से वापिस इसलिये आये थे क्योंकि एक पैकेट में सील से संबंधित ऐतराज हो गया था।

प्रथम बार में दिनांक 12.06.18 को एफएसएल जयपुर गया था एवं दूसरी बार दिनांक 14.06.18 को एफएसएल जयपुर माल जमा कराने गया था।

15- गवाह पी.डब्ल्यू-5 संजय ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक अक्टूबर 2014 से 12 मई 2019 तक थाना पीसागंन में तैनात है। प्रकरण संख्या 108/18 में फर्द तस्दीक नक्शा घटनास्थल दिनांक 17.06.18 को उसके सामने बनाया था जो प्रदर्श पी 30 है। जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व इ से एफ खेमाराम के हस्ताक्षर है व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र के हस्ताक्षर व ए से बी अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर है। फिर दिनांक 17.06.18 को फर्द तस्दीक नक्शा मौका आरोपी विजयपाल का मकान ग्राम भामासी थाना दूधवाधारा जो प्रदर्श पी 31 है, जिसपर एक्स स्थान पर विजयपाल का मकान है व ई से एफ उसके व सी से डी खेमाराम जी व जी से एच मुलजिम विजेन्द्र व ए से बी अनुसंधान अधिकारी के हस्ताक्षर है। दिनांक 18.07.18 को समय 5.59 पीएम पर थाना पीसागंन की आईओ ने उनके समक्ष मुलजिम राजेश कुमार पुत्र श्री मनीराम की फर्द गिरफ्तारी बनाई थी जो प्रदर्श पी 34 है जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व जी से एच कांस्टेबल प्रकाश के हस्ताक्षर है व सी से डी मुलजिम राजेश कुमार के हस्ताक्षर है व ए से बी आईओ प्रेमलता के हस्ताक्षर है जो उसके समक्ष बनाई थी।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि मुझे मुलजिम राजेश को किसी पुलिस वाले ने कस्टडी में नहीं दिया था। आई ओ ने मेरे समक्ष मुलजिम राजेश को गिरफ्तार किया था। मेरे सामने मुलजिम राजेश को पूछताछ करने के बाद आई ओ ने दिनांक 18.07.18 को गिरफ्तार किया था। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 30 के सभी गवाहान पुलिसकर्मी है। यह मुझे याद नहीं है कि उक्त नक्शा मौका बनाने से पूर्व आईओ ने स्वतंत्र गवाह तलबी हेतु कोई प्रयास किये थे अथवा नहीं। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी 30 में बनाते समय नक्शे मौके में वर्णित राहगीरों को गवाहान नहीं बनाया था।

16- गवाह पी.डब्ल्यू-6 प्रकाश ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 31.08.14 को पुलिस थाना पीसागंन में पदस्थापित हुआ। प्रकरण संख्या 108/18 थाना मांगलियावास में दौराने अनुसंधान वह थाने में तैनात था। इस प्रकरण में उसके समक्ष मुलजिम राजेश कुमार को गिरफ्तार किया जाकर घटनास्थल की तस्दीक करवाई गई थी। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 34 है जिसपर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी 32 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि हमने दिनांक 18.07.18 को मुलजिम राजेश कुमार को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी थाना पीसागंन में हुई थी। यह बात सही है कि उक्त नक्शा मौका बनाते समय वहां पर पास में एक होटल थी जिस पर आम नागरिक मौजूद थे, उन लोगों को गवाहान क्यों नहीं बनाया, मैं नहीं बता सकता हूँ।

17- गवाह पी.डब्ल्यू-7 देवाराम ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.18 को रात के सवा 11 बजे थाना से रवाना होकर नसीराबाद रोड बिडकचियावास टोल नाके पर नाकाबंदी प्वाइंट पर पहुंचे। नाकाबंदी प्वाइंट पर पूर्व मे गोपाराम जी मय जाप्ते के नाकाबंदी कर रहे थे। बाद नाकाबंदी वहां से गश्त करते हुए रवाना हुए बिडकचियावास चौराहा पर पहुंचे तो वहां एक इनोवा गाड़ी नजर आई जो बिडकचियावास की ओर से आ रही थी जिसको आईपीएस साहब डॉक्टर अमृता दुहन ने उसे गाडी रूकवाने के लिए कहा तो उसने गाडी रूकवाई। गाडी का नम्बर आरजे-10-यूए-0267 है। जो गाडी चला रहा था उससे मैडम ने नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम विजेन्द्र पुत्र दयाचंद बताया। उसी दौरान साइड वाली सीट पर एक आदमी बैठा था जो अंधेरा था तो जंगल मे भाग गया। फिर नाकाबंदी प्वाइंट से गोपाराम जी को फोन किया और मौके पर बुलाया और उनके आने के बाद गाड़ी को चैक करवाया तो गाड़ी के अंदर पीछे

वाली सीट पर एक कट्टा नजर आया और गाड़ी की डिक्की खुलवाई तो उसमे भी कट्टे नजर आए। कट्टों को कुलदीप जी एएसआई ने चैक किया तो उन्होंने आईपीएस मैडम को बताया कि कट्टों में डोडे चूरा भरा हुआ है। फिर मैडम ने गोपाराम जी को इलेक्ट्रॉनिक कॉटा लाने हेतु मांगलियावास थाने भेजा व स्वतंत्र गवाह लाने के बोला। फिर थोडी देर मे गोपाराम जी वापस इलेक्ट्रॉनिक कॉटा लेकर आए। स्वतंत्र गवाह कोई नहीं आया। मैडम ने गोपाराम जी व वेदप्रकाश को स्वतंत्र गवाह बनाया। स्वतंत्र गवाह बनने हेतु उन्होंने स्वेच्छा से सहमति दी। फिर बाद मे गाड़ी मे रखे हुए कट्टों को गाडी से उतरवाकर वजन करवाया जो वजन उसने किया था। गाडी मे कुल 9 कट्टे थे जिनका वजन अलग-अलग था उनमे से कट्टा नम्बर 1 से 4 प्रत्येक 14 किलोग्राम था। कट्टा नम्बर 5 का वजन 21 किलो 500 ग्राम था व 6 नम्बर के कट्टे का वजन 24 किलो 500 ग्राम था व 7 नम्बर के कट्टे का वजन 24 किलो 800 ग्राम था व 8 नम्बर के कट्टे का वजन 16 किलो 800 ग्राम था व नौवा कट्टा 14 किलोग्राम का था तो कुल वजन 1 क्विंटल 57 किलोग्राम 900 ग्राम हुआ। कट्टों का वजन करने के बाद प्रत्येक कट्टे पर मार्क किया जो ए से आई तक अंकित किया। उसके बाद प्रत्येक कट्टे मे से 500-500 ग्राम अलग-अलग नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिए। फिर सैम्पल लेने के बाद इनको प्लास्टिक की थैलियों में डालकर कपड़े की थैली मे सिलकर प्रत्येक थैली को अलग-अलग करके सील मोहर किया गया। नमूना सैम्पल पर ए-1 से आई-1 मार्का अंकित की गई व कंट्रोल सैम्पल पर मार्का ए-2 से आई-2 अंकित की गई। मौके की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद में माल व मुलजिम मय जब्तशुदा गाड़ी को थाने में लेकर गए। उसके बाद थाने में जाकर दीवान जी को बुलाकर माल को मालखाने में रखवाया और गाड़ी को थाना परिसर मे सुरक्षित खडी करवाई और मुलजिम को हवालात मे दाखिल करवाया।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मांगलियावास से टोल नाके के बीच कितनी दूरी है मुझे पता नहीं है। टोल नाका आबादी क्षेत्र है या नहीं मुझे पता नहीं है। बिडकचियावास चैराहा आबादी स्थल में हो तो मुझे पता नहीं है। तथाकथित बरामदगी स्थल पर लाईटों की

व्यवस्था नहीं थी। यह कहना सही है कि पत्रावली की किसी भी फर्द पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मुझे याद नहीं है कि जब्तशुदा माल का जो वजन किया था उस पर मेरे हस्ताक्षर है या नहीं। मैडम ने मेरे सामने उच्चाधिकारियों को वायरलेस से कोई मैसेज दिया हो तो आज मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि इनोवा वाले को गांव वालो ने पकडकर गोपाराम को दिया हो और हमारे द्वारा कोई पुलिस कार्यवाही की गई हो। यह कहना गलत है कि सारी कार्यवाही पुलिस थाने में की हो। मुझे याद नहीं कि सूर्यास्त के पश्चात रात्रि में तलाशी के कारणों को लेखबद्ध करते हुये मौके से उच्चाधिकारियों को पृथक से फर्द भेजी हो। यह बात सही है कि स्थानीय स्वतंत्र मौतबिरान सरपंच पटवारी इत्यादि के सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई। अज खुद कहा कि वहां कोई व्यक्ति मिला नहीं। यह बात सही है कि नमूने निकालने के बाद कट्टों का तोल नहीं किया गया था। कट्टे किस चीज से सिले थे आज मुझे याद नहीं है। यह मुझे याद नहीं है कि नमूना सील व नष्टीकरण सील की फर्द की प्रति किसी मुलजिमान या स्वतंत्र गवाह को दी या नहीं।

18– गवाह पी.डब्ल्यू–8 राजकंवर ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 05.12.18 को पुलिस थाना मांगलियावास पर एसएचओ प्रोबेशनर आरपीएस के पद पर पदस्थापित थी, उस दिन प्रकरण संख्या 108/18 अन्तर्गत धारा 8/15, 25 व 29 अधिनियम 1985 मे श्रीमती प्रेमलता सब इंस्पेक्टर द्वारा बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया जाकर उसके समक्ष वास्ते पेश किये जाने आरोप पत्र पेश किया गया जिसे उसने बाद कार्यवाही न्यायालय मे पेश किया। चार्जशीट जो प्रदर्श पी 64 है, जो 7 पृष्ठ है जिस पर प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मेरी आरपीएस की ज्वाइनिंग 11 सितम्बर 2017 की है। मेरा अभी भी प्रोबेशनर पीरियड चल रहा है। पुलिस थाना मांगलियावास में मैने शमशेर खान निरीक्षक पुलिस के अधीन रह कर काम सीखा था। यह बात सही है कि अमृता दुहन आईपीएस का पुलिस थाना मांगलियावास पर एसएचओ प्रोबेशनर

के रूप में नियुक्ति बाबत जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर व राज्य सरकार का कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। यह कहना सही है कि तत्कालीन थानाधिकारी अरविंद चारण से अमृता दुहन आईपीएस प्रोबेशनर के द्वारा थाने का स्वतंत्र प्रभार प्राप्त करने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज नहीं है।

19– गवाह पी.डब्ल्यू–9 रामाकिशन ने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 19.07.18 को पुलिस थाना पीसागंन में कांस्टेबल के पद पर तैनात था उस दिन समय 7.00 ए.एम. पर मुलजिम राजेश ने आईओ प्रेमलता सब इंस्पेक्टर को कहा कि मैं जिस गाडी से एस्कोर्ट कर रहा था वह जगह बता सकता है जिसपर 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 42 है जिसपर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी प्रकाश के हस्ताक्षर है। इसी दिन समय करीब 4.30 पी.एम पर वह, आईओ प्रेमलता, कांस्टेबल प्रकाश व मुलजिम राजेश के घटनास्थल बिडकचियावास चौराहा पहुंच प्रकरण हाजा में तस्दीक नक्शा मौका मुर्तिब किया गया जो प्रदर्श पी 32 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रकाश के हस्ताक्षर है जिसके साथ काम करने की वजह वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है। दिनांक 20.07.18 को मुलजिम राजेश ने आईओ प्रेमलता को समय करीब 3 पी.एम. पर कहा कि जो गाडी क्रेटा नम्बर आरजे 14 9647 से जो मैं एस्कोर्ट कर रहा था वो गाडी नसीराबाद में मेरा दोस्त है उसके पास है । मैं आपके साथ चलकर बरामद करवा सकता हूं जिसपर 27 साक्ष्य अधिनियम फर्द मुर्तिब की गई जो प्रदर्श पी 39 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रकाश के हस्ताक्षर है जिसके साथ काम करने की वजह से वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है। दिनांक 26.07.18 को समय करीब 1 पीएम पर मुलजिम राजेश ने आईओ प्रेमलता को कहा कि जिस गाडी से मैं एस्कोर्ट कर रहा था क्रेटा आर जे 14 9647 वो गाडी मेरे भाई अशोक जो गुवाहाटी में रहता है उसके पास है आप ले चलो तो मैं बरामद करा दूं जिसकी फर्द प्रदर्श पी 37 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रकाश के हस्ताक्षर है

जिसके हस्ताक्षर वह उसके साथ काम करने की वजह से पहचानता है। दिनांक 27.07.18 को समय करीब 10.30 पीएम पर मुलजिम राजेश ने आईओ प्रेमलता को कहा कि जिस गाडी से मैं एस्कोर्ट कर रहा था वो गाडी क्रेटा आरजे 14 –9647 मेरे दोस्त विजय कुमार शर्मा जो दूधवाखारा जिला चुरू का रहने वाला है उसके पास है आप ले चलो तो मैं बरामद करवा सकता हूॅ जिसकी फर्द पत्रावली पर प्रदर्श पी 36 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रकाश के हस्ताक्षर है जिसके साथ काम करने की वजह से वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना सही है कि सभी फर्दात धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला स्वतंत्र व्यक्तियों के सामने मुर्तिब नहीं हुई थी। धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की ईत्तला के संबंध में मौतबिर नियुक्ति बाबत कोई अलग से फर्द पत्रावली में नहीं है। यह बात सही है कि मेरे सामने राजेश से कोई बरामदगी नहीं हुई। यह बात सही है कि हम स्वतंत्र गवाहान की तलाश के लिये गये हो ऐसा कोई प्रयास हमने किया हो तो पत्रावली पर ऐसी कोई फर्द मौजूद नहीं है।

20– गवाह पी.डब्ल्यू–10 गोपाराम ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.18 को पुलिस थाना मांगलियावास पर हैड कांस्टेबल के पद पर तैनात था, उस दिन टोल नाका पर नाकाबंदी मन हैड कांस्टेबल मय कांस्टेबल अनिल व वेदप्रकाश कांस्टेबल व सरकारी जीप मय चालक भागचंद के समय 11 पी.एम. से नाकाबंदी कर रहा था मौके पर अमृता दुहन आईपीएस प्रोबेशनर मय जाप्ते के टोल नाके पर पधारे व समय करीबन 12.45 ए.एम. पर वहां से रवाना होकर समय करीबन 1.00 ए.एम. पर मन हैड कांस्टेबल को ईत्तला दी कि आप बिडकचियावास चौराहा पर पहुॅचें। उपरोक्त ईत्तला पर मन हैड कांस्टेबल मय जाप्ता मय सरकारी जीप बिडकचियावास चौराहा पर पहुॅचे, जहां पर आईपीएस मैडम मय जाप्ते के मौजूद मिली। वहां पर ही टोयटा इनोवा गाडी नम्बर आरजे–10–यूए–0267 खडी थी जिसको चैक कर चालक का नाम पूछा तो उसने अपना नाम विजेन्द्र बताया

तथा चालक के पीछे वाली सीट के नीचे प्लास्टिक के नौ कट्टे भरे हुए मिले जिनको खोलकर देखा तो उसमे अफीम डोडापोस्त का चूरा भरा हुआ मिला। उक्त गाडी के चालक से इस संबंध में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। गाड़ी में से भागने वाले सहयोगी का नाम विजयपाल, जो भामासी जिला चुरू का होना बताया। जिस पर विजेन्द्र को डोडा कब्जे मे रखना व परिवहन करने बाबत परमिट व लाइसेंस पूछा तो नहीं होना बताया। जिस पर आईपीएस मैडम ने उसे लिखित मे हुक्मनामा देकर दो स्वतंत्र गवाह एवं कॉटा-बॉट लाने हेतु निर्देश दिए जिस पर वह व सरकारी जीप मय चालक भागचंद के रवाना होकर स्वतंत्र गवाहान हेतु मालूमात व पूछताछ की तो कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुआ जिस पर वह इलेक्ट्रिक कांटा लेकर आया व कॉटा आईपीएस मैडम को पेश किया जिसके बाद पुलिस जाप्ते में से कुलदीप सिंह एएसआई व कांस्टेबल वेदप्रकाश को गवाह मामूर कर डोडा पोस्त के कट्टों को गाडी में से बाहर निकालकर 9 कट्टों का तौल किया तो कुल वजन 157 किलो 900 ग्राम हुआ, जिसमें से प्रत्येक कट्टे में से नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल 500-500 ग्राम पृथक से निकालकर कट्टो पर मार्का ए से आई तक अंकित किया व नमूना सैम्पल पर मार्का ए-1 से आई-1 अंकित किया व कंट्रोल सैम्पल पर मार्का ए-2 से आई-2 अंकित किया गया तथा नमूना सील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही मौके पर नष्ट की गई तथा गाडी नम्बर आरजे-10-यूए-0267 को जरिए फर्द पृथक से जब्त किया गया व मुलजिम विजेन्द्र कुमार को जरिए फर्द पृथक से धारा 8/15 का अपराध होने से गिरफ्तार किया गया। मौके बाद सम्पूर्ण कार्यवाही मय जब्तशुदा माल मय मुलजिम मय वाहन के थाने पर आकर आईपीएस मैडम ने मुकदमा दर्ज करवाया। उक्त समस्त कार्यवाही उसके सामने हुई। प्रदर्श पी 2 हुक्मनामा बाबत दो स्वतंत्र गवाह है, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि मौके पर उपस्थिति बाबत उसकी कोई फर्द पत्रावली पर नहीं हो। इत्तला में मादक पदार्थो के बारे में हमें नहीं बताया गया था। यह कहना

गलत है कि हमारे पहुंचने से पूर्व ही उक्त इनोवा वाहन की तलाशी ले ली गई हो। वाहन दस्तयाब के 15 मिनट बाद हम मौके पर पहुंचे थे। जब हम मौके पर पहुंचे तब उस समय इनोवा गाडी का ड्राईवर चालक सीट पर बैठा था। यह मुझे ध्यान नहीं है कि इनोवा गाडी की तलाशी से पूर्व पुलिस जाप्ते की किसी पुलिसकर्मी ने तलाशी ली अथवा नहीं। यह बात सही है कि गाड़ी की तलाशी से पूर्व तलाशी के प्रावधानों के बारे में गाड़ी के चालक को बता दिया था। यह बात सही है कि मेरे सामने वाहन की तलाशी के संबंध में वारंट प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की गई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि बिना वारंट के तलाशी के संबंध में उच्चाधिकारियों से कोई प्राधिकार प्राप्त किया या नहीं। यह कहना गलत है कि तलाशी से पूर्व किसी स्थानीय स्वतंत्र गवाहान को बुलाने की कार्यवाही मौके से नहीं की गई हो। इल्ट्रोनिक कॉटा बॉट मैं ग्राम मांगलियावास से दुकानदार से लाया था। मेरे द्वारा जिस व्यक्ति से इलेक्ट्रॉनिक कॉटा बॉट लाया गया था उस व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये प्रस्ताव दिया था लेकिन उसने मना कर दिया था। हमारे द्वारा एक व्यक्ति को स्वतंत्र गवाह बनने के लिये बोला गया था रात्रि का समय था इसलिये अन्य व्यक्ति नहीं मिले। यह बात सही है कि मेरे सामने तथाकथित बरामदगी स्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया गया था। यह बात सही है कि दो स्वतंत्र मोतबिर पुलिसकर्मी है। यह बात सही है कि मेरे सामने फर्द नमूना सील व फर्द नमूना नष्टीकरण सील की फर्द अलग अलग नहीं बनाई गई थी। यह कहना गलत है कि मौके पर हमारे द्वारा कच्ची कार्यवाही की गई हो और सम्पूर्ण फर्दे थाने पर जाकर बनाई गई हो।

21– गवाह पी.डब्ल्यू–11 वेदप्रकाश ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.18 को रात्रि करीब 10 बजे से थाना हाजा से वास्ते नाकाबंदी बिडकचियावास रोड टोल नाका पर एचसी गोपाराम चालक भागचंद कांस्टेबल अनिल मय सरकारी जीप के पहॅुचे । हम वहॉ पर नाकाबंदी कर रहे थे करीब 12.30 बजे एचसी गोपाराम के पास आईपीएस अमृता दुहन मैडम का फोन आया कि आप

बिडकचियावास चौराहा पर पहुॅचो। वह व गोपाराम जी, भागचंद जी, अनिल जी मय सरकारी जीप के करीब 1.20 मिनट पर बिडकचियावास चौराहा पर पहुॅचे तो वहॉ पर आईपीएस मैडम मय जाप्ते के खडी थी तथा उनके पास एक टोयाटो इनोवा सिल्वर कलर की गाडी खडी थी जिसके आगे-पीछे नम्बर प्लेट आरजे-10-यूए-0267 नम्बर लिखे हुए थे व शीशों पर काले कलर की फिल्म चढ़ी हुई थी। गाडी की आगे की सीट पर एक चालक बैठा हुआ था जिसका नाम पूछने पर विजेन्द्र होना बताया। गाडी के चालक सीट के पीछे वाली सीट पर एक पीले कलर का कट्टा रखा था तथा गाडी के डिक्की के अंदर 8 कट्टे रखे थे, कुल 9 कट्टे थे, उन कट्टों को खोलकर एएसआई कुलदीप सिंह ने चैक किया तो उसमे अफीम डोडा पोस्त का चूरा होना बताया तथा चालक ने भी अपनी सहमति दी। करीब 1.30 एएम दिनांक 09.06.18 को आईपीएस मैडम ने उसके सामने एचसी गोपाराम को 2 स्वतंत्र गवाहान व नाप-तौल के लिए कॉटा-बॉट लाने के लिए भेजा। बाद में 2.15 ए.एम. एचसी गोपाराम इलेक्ट्रॉनिक कॉटा-बॉट लेकर आए। सभी कट्टों में भरा हुआ अफीम डोडा पोस्त के चूरे को बारी-बारी से चालक दुर्गालाल द्वारा तोला गया। 5 कट्टों मे 14-14 किलो तथा 1 कट्टे मे 21 किलो 800 ग्राम व 1 कट्टे मे 24 किलो 800 ग्राम व 1 कट्टे 24 किलो 500 ग्राम व 1 कट्टे मे 16 किलो 800 ग्राम अफीम डोडा पोस्त चूरा कुल मिलाकर सभी 9 कट्टो मे 157 किलो 900 ग्राम अफीम डोडा पोस्त चूरा मिला व 14-14 किलो कट्टों का कलर पीला था जिनके उपर ''सरस पशु आहार'' का मोनोग्राम लगा हुआ था। 3 कट्टे हरी, लाल, काली व सफेद धारीधार पट्टी कलर के थे तथा 1 कट्टा सफेद कलर का था। सभी कट्टों में से 500-500 ग्राम के दो-दो सैम्पल लिए गए। कट्टो पर मार्का ए से आई अंकित किए गए व नमूना सैम्पल पर मार्का ए-1 से आई-1 अंकित किए गए व कंट्रोल सैम्पल पर ए-2 से आई-2 अंकित किया गया। करीब 2.30 ए.एम. पर मन कानि. को आईपीएस मैडम ने स्वतंत्र गवाह बनने के लिए एएसआई कुलदीप सिंह के साथ लिखित मे एक नोटिस दिया जिस पर मन कानि. ने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह बनने के लिए लिखित मे सहमति दी। मन कानि. ने

एएसआई कुलदीप सिंह के सामने 3.00 ए.एम. पर सभी कट्टों व नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल को सील्ड मोहर किया गया। अफीम डोडा पोस्त चूरे की जब्ती करने के बाद आईपीएस मैडम ने उसके सामने करीब 5.30 ए.एम. पर नमूना सील को वही पर पत्थर से तोडकर नष्ट करके फेंक दिया। करीब 6.00 ए.एम. पर गाडी की तलाशी एचसी गोपाराम जी से लिवाई गई जिसमे चालक विजेन्द्र सिंह की गाडी की आर.सी. व गाडी आरजे-10-यूए-0267 के कागजात मिले, जिनकी उसके समक्ष व कुलदीप सिंह एएसआई के समक्ष गाड़ी की जब्ती बनाई गई। करीब 7.30 ए.एम. पर विजेन्द्र सिंह की जामा तलाशी उसके सामने एचसी गोपाराम ने ली। विजेन्द्र सिंह की जेब से एक धारा 52 अधिनियम, 1985 का नोटिस की कार्बन प्रति मिली तथा काले कलर का पर्स था, जिसमें 2810 रुपये थे, पर्स मे विजेन्द्र सिंह की वोटर आईडी व आधार कार्ड व अन्य कागजात थे। प्रदर्श पी 4 फर्द मामूरी गवाहान सहमति है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी गवाह बनने बाबत उसकी सहमति है। प्रदर्श पी 5 फर्द जब्ती अवैध डोडा पोस्त है जिस पर प्रत्येक पेज पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 6 फर्द जब्ती टोयाटा कार है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 7 फर्द नमूना नष्टीकरण है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 8 फर्द नोटिस धारा 52 अधिनियम, 1985 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 9 फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी अभियुक्त विजेन्द्र है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह बात सही है कि दिनांक 08.06.18 को मांगलियावास टोल नाका पर जाने बाबत मेरी रवानगी पत्रावली पर नहीं है। मुझे जानकारी नहीं है कि इन्चार्ज ने मैडम को फोन करके अजमेर बुलाया हो। उस दिन मुझे उक्त इनोवा गाडी में डोडा पोस्त होने की जानकारी एएसआई कुलदीप सिंह द्वारा कट्टों को खोलने के बाद उनके बताने पर हुई। मैं और कुलदीपसिंह स्वतंत्र गवाहान के लिये करीब 100-200 मीटर की दूरी तक गये थे लेकिन रात्रि होने से हमें वहां कोई नहीं मिला। यह बात सही है कि इस प्रकरण

में कोई भी राहगीर व वाहन चालक गवाहान नहीं है। अजखुद कहा कि हमने वाहन चालकों को रोका था, लेकिन कोई भी स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं हुआ। मुझे आज याद नहीं है कि स्वतंत्र गवाह बनाने के लिये स्थानीय सरपंच, पटवारी व ग्राम सेवक को बुलाने के लिये कोई गया अथवा नहीं। तलाशी से पूर्व विजेन्द्र सिंह को आईपीएस मैडम ने तलाशी के प्रावधानों के बारे में बता दिया था। यह कहना गलत है कि तलाशी व फर्द बनाने की कार्यवाही साथ साथ चल रही हो। अजखुद कहा कि तलाशी लेने के बाद फर्द बनाई थी। यह बात सही है कि मौके पर रात्रि में मेरे सामने आईपीएस मैडम ने बरामदगीस्थल का नक्शा मौका नहीं बनाया था।

22– गवाह पी.डब्ल्यू–12 मोहनलाल ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 08.06.18 को पुलिसथाना मांगलियावास पर मालखाना इंचार्ज के पद पर तैनात था, उस दिन थानाधिकारी आईपीएस प्रोबेशनर अमृता दुहन ने मुकदमा नम्बर 108/18 धारा 8/15 अधिनियम 1985 का माल सील्डशुदा प्लास्टिक के 9 कट्टे पर मार्का ए से आई व 9 नमूना सैम्पल ए–1 से आई–1 व 9 कंट्रोल सैम्पल ए–2 से आई–2 अंकित था सील्ड शुदा उसे दिए थे इन सभी का कुल वजन 157 किलो 900 ग्राम था जो मालखाने मे इन्द्राज उसके द्वारा किया गया था एवं रिसील्ड की सम्पूर्ण कार्यवाही उसके सामने की थी। फर्द रिसील्ड प्रदर्श पी 10 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी गिरधारी लाल के हस्ताक्षर है जिसके साथ काम करने की वजह से वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है व एक्स स्थान पर तीन जगह नमूना सील है। प्रदर्श पी 63 मालखाना रजिस्टर मूल है जिस पर जी से एच माल जमा करने की प्रविष्टि है, जो 8 पृष्ठों मे है जिस पर अन्तिम पृष्ठ पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है जिस पर आई से जे जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर है व प्रदर्श पी 63 के ए से बी भाग मे उसके 8 जगह हस्ताक्षर है व के से एल माल को दूसरे कट्टे में सुरक्षित रखने बाबत प्रविष्टि है जिसका रोजनामचा प्रदर्श पी 65 है व मूल मालखाना रजिस्टर की प्रति पत्रावली पर प्रदर्श पी 63 ए है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि यह बात सही है कि धारा 55 अधिनियम 1985 की फर्द से माल जमा नहीं करवाया गया था। यह बात सही है कि मालखाना में माल अलग से फर्द सुपुदर्गी बनाकर नहीं जमा करवाया गया था। यह बात सही है कि मैंने माल जमा कराने वाले को माल जमा करने से संबंधित रिसिप्ट नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी 63 व प्रदर्श पी 63 ए में ऐतराज का अंकन ना हो। प्रथम व द्वितीय बार एफएसएल मे ऐतराज होने से मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों व न्यायालय में ऐतराज पूर्ति बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया था। यह बात सही है कि माल में बार-बार ऐतराज होने पर भी मैंने जब्ती अधिकारी को कोई लिखित में प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया अजखुद कहा कि जब्ती अधिकारी को इस संबंध में मौखिक रूप से बताया था और उन्होनें उसके बाद ऐतराज की पूर्ति की। यह कहना गलत है कि प्रथम बार कट्टों में से छेडखानी करके एक सैम्पल एफएसएल में भेजा था दूसरी बार 2 सैम्पल एफएसएल में भेजे हो। अजखुद कहा कि दोनों बार 9 सैम्पल ही भेजे गये थे। यह बात सही है कि फर्द नमूना सील प्रदर्श पी 7 मुर्तिब दिनांक 09.06.18 व प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 16 तीनों फर्दें अलग-अलग है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 15 व प्रदर्श पी 16 में मुलजिमान, मौतबिरान, दिनांक व समय का अंकन नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 15 व 16 अलग अलग हैण्डराईटिंग में है। यह बात सही है कि इस पत्रावली में भी एफएसएल में माल भेजने बाबत कोई रोड सर्टिफिकेट की प्रति नहीं है। यह बात सही है कि प्रदर्श पी 17, 18 व 19 में मेरे प्राप्ति बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह बात सही है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 63 व 63 ए में माल का इन्वेन्ट्री करवाने का भी अंकन नहीं है।

23- गवाह पी.डब्ल्यू-13 सूरज भार्गव ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह मन्डेलिया हाउस पर दिनांक 08.06.18 को फोटोग्राफी करने सायं 6.30 बजे पहुंचा तो फिर वहां प्रोग्राम शुरू हुआ तो जो भी लोग आ रहे थे उनकी फोटोग्राफी की थी। कार्यक्रम के समापन के बाद वह अपने घर आ गया। फिर ये फोटोज उसने फेसबुक

में लगाने के लिये उसके दोस्त कुलदीप को भेज दी थी। उसके बाद दिनांक 17.07.18 को उसके स्टूडियो पर अजमेर से पुलिस आई थी। उन्होंने उससे फोटोग्राफ के बारे में पूछा तो उसने हां की तो उन्होनें पैन ड्राईव से फोटो ली और पेन ड्राईव भी दे दी तथा उसकी स्वीकृत भी ले ली। उक्त वक्त उसके साथ हरीराम था दूसरे का नाम उसे याद नहीं है। उससे लिखित में लिया था कि रोजा इफ्तार पार्टी कहां थी, जो उसने लिखित में दिया कि पार्टी दिनांक 08.06.18 को हुई थी। उसके द्वारा लिखित सहमति प्रदर्श पी 55 है जिस पर ए से बी उसकी सहमति है, ई से एफ उसका नाम व पता है। फर्द जब्ती पेशकशी एक लाल का कार्ड जो प्रदर्श पी 33 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मैंने अपने दोस्त को जो फोटो फेसबुक पर भेजी थी वो जरिये वाट्सएप भेजी थी। यह सही है कि दिनांक 17.07.18 को मेरे स्टूडियो पर जो पुलिस वाले अजमेर आना बताया है, उन्होंने अपनी शिनाख्तगी बाबत कोई पहचान पत्र मुझे नहीं बताया। यह कहना सही है कि उक्त पुलिसवाले जो मुझसे पैनड्राईव लेकर गये थे उसे बिना सील किये ही ले गये थे।

24- गवाह पी.डब्ल्यू-14 इन्द्राज सिंह ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 10.06.18 को पुलिस थाना पीसांगन पर तैनात था, उस दिन एसएचओ मैडम प्रेमलता के साथ प्रकरण संख्या 108/18 मे नक्शा मौका बनाने के लिए बिडकचियावास चैराहा गया था। जो नक्शे मौके की कार्यवाही आईपीएस अमृता दुहन प्रोबेशनर इनकी निशांदेही से हुई थी उस समय वहॉ पर कुलदीप जी एएसआई जी भी मौजूद थे और नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी 14 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है व ई से एफ प्रेमलता मैडम के हस्ताक्षर है व नक्शे मौके पर एक्स स्थान पर घटनास्थल दर्शित है।

जिरह में गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि वक्त बरामदगी मैं घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। इसलिये मेरे सामने बरामदगी भी नहीं हुई थी। यह कहना सही है कि घटना मौका स्थल पर चाय की दुकान है व चलता हुआ रोड है। घटनास्थल पर स्वतंत्र गवाह

बाबत मैं खुद एसएचओ मैडम प्रेमलता के कहने पर स्वतंत्र गवाह बुलाने गया था किन्तु कोई आया ही नहीं। यह कहना गलत है कि घटनास्थल के आसपास एक से अधिक चाय की दुकानें हों और वहां 50-100 आदमी प्रतिदिन मौजूद रहते हों।

25- गवाह पी.डब्ल्यू-15 रेखराज ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 03.07.18 को पुलिस थाना पीसांगन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, उस दिन शाम को 7.49 पी.एम. के लगभग थाने पर एसएचओ श्रीमती प्रेमलता ने उसके व कांस्टेबल सरजीत के समक्ष मुकदमा नम्बर 108/18 धारा 8/15 अधिनियम 1985 में मुलजिम कृष्णकुमार पुत्र महावीर जाति बलाई उम्र 26 साल निवासी भामासी पीएस दूधवाखारा जिला चुरू को प्रकरण हाजा मे गिरफ्तार किया। जिसके तलाशी उसके द्वारा लिवाई गई जिसके पास कोई वस्तु नहीं मिली। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 35 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है व सी से डी कांस्टेबल सरजीत के हस्ताक्षर है जिसके साथ काम करने की वजह से वह उसके हस्ताक्षर पहचानता है व जी से एच मुलजिम कृष्णकुमार के हस्ताक्षर है।

26- गवाह पी.डब्ल्यू-16 कृष्ण कुमार ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 08.06.18 की बात है उस दिन रफीक मण्डेलिया की रोजा अफ्तार की दावत थी जो कि रतनगढ मण्डेलिया गेस्ट हाउस जिला चुरू में थी। उस दिन उसके साथ हर्ष, किशोर धान्धू थे। अफ्तार पार्टी चल रही थी लगभग 100-150 आदमी वहॉ मौजूद थे। वहॉ उसे विजयपाल जी मिले और हमने वहॉ साथ में बैठकर चुनावी चर्चा की थी। यह पार्टी लगभग 8-9 बजे तक चली थी इस पार्टी की वीडियोग्राफी हुई थी। हम सभी लोग अपने-अपने घर चले गए।

गवाह ने जिरह में कथन किया है कि मैं रोजा पार्टी मे मौजूद सभी 100-150 लोगों के नाम नहीं जानता था। पुलिस ने जो मेरे बयान लिये तो मुझे बताया था कि डोडा पोस्त की कोई गाडी पकड़ी गई है इस संबंध में है। मैं किसी कृष्णकुमार मेघवाल को, किसी राजेश

को व किसी विजेन्द्र नाम के व्यक्ति को भी नहीं जानता हूॅ।

27- गवाह पी.डब्ल्यू-17 प्रभात भूषण ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह रिलायंस जियो मे नोडल अधिकारी के पद पर जनवरी 2017 से कार्यरत है। दिनांक 11.12.18 को एस पी ऑफिस अजमेर द्वारा पत्र संख्या 340 दिनांक 11.12.18 को मोबाइल नम्बर 9549826721 की कॉल डिटेल दिनांक 01.05.18 से दिनांक 10.06.18 तक मांगी गई। उक्त नम्बर की कॉल डिटेल उस नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.18 को एस पी ऑफिस में जमा करा दी गई जिसमें साक्ष्य अधिनियम 65 बी सर्टिफिकेट उक्त सीडीआर का जमा करा दिया गया। उक्त नम्बर विजयपाल पुत्र निरानाराम के नाम पर है, जिसका कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ई केवाईसी द्वारा लिया गया है जो सीडीआर के साथ जमा करवा दिया। यह कि उक्त नम्बर की सीडीआर प्रदर्श पी 68 है जो 15 पेजों में है जिस पर प्रत्येक पेज पर उसके ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 69, 65 बी साक्ष्य अधिनियम के तहत जारी किया गया प्रमाण पत्र है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। ई केवाईसी एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्श पी 72 है।

28- उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावली व सुसुगत विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त विजेन्द्र कुमार एवं राजेश कुमार के विरूद्व आरोपित अपराध बाबत निर्णय दिनांक 10-12-2019 को किया जा चुका है । जिसके अनुसार अभियुक्त विजेन्द्र कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस अधिनियम में दोषसिद्व घोषित किया गया एवं अभियुक्त् राजेश कुमार को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 एन डी पी एस एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया गया। उक्त दिवस को अभियुक्त कृष्ण कुमार प्रकरण हाजा में अनुपस्थित था ।

29- इस प्रकार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-12-

2019 के अनुसार अभियुक्त विजेन्द्र कुमार के कब्जे से वाहन इनोवा नम्बर आर.जे. 10 यू ए 0267 के संचालन के दौरान उक्त वाहन से 09 कटटों में भरा 157.900 किलो अवैध अफीम डोडा पोस्त जब्त किया जाना प्रमाणित है ।

30- अब न्यायालय को यह देखना है कि जिस वाहन इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया गया। उक्त इनोवा कार का मालिक अभियुक्त कृष्ण कुमार था अथवा नहीं और उसे उक्त अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की जानकारी थी अथवा नहीं?

31- इस सन्दर्भ में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह पी.ड.01 डा. अमृता दुहन ने अपने मुख्य परीक्षण में घटना का वर्णन करते हुए मौके पर अर्थात घटना वाली दिनांक 8-6-2018 को टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 में भरे नो कटटो से 157.900 किलो अवैध अफीम डोडा पोस्त जब्त किया जाना कथित करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में ही वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 की मूल आर सी जरिये फर्द प्रदर्श पी 22 तथा उक्त वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 23 के रूप में तथा उक्त वाहन का बीमा प्रदर्श पी 24 के रूप में पेश किया जाना कथित किया है । जिन पर ए से बी स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है । इसी अनुक्रम में उक्त गवाह की जिरह का अवलोकन किया जावे तो दौराने जिरह भी उक्त् गवाह के द्वारा उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 का मौके पर होना स्पष्ट रूप से कथित किया गया है । इसी के साथ गवाह पी.ड.3 मनोहर लाल जो कि प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है उक्त गवाह के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 9-6-2018 को मुलजिम विजेन्द्र के द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला में टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 में अवैध अफीम डोडा पोस्त कोटा से भरकर लाना कथित किया है तथा नक्शा मौका सरहद ग्राम भगराई प्रदर्श पी 30 में स्वयं

विजयपाल द्वारा वाहन की चालक सीट पर बैठना एवं वाहन में होना कथित करता है । इसके अतिरिक्त उक्त गवाह के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ही दिनांक 05-10-2018 को जिला परिवहन अधिकारी चूरू को वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 के स्वामी बाबत सम्पूर्ण रेकार्ड हेतु तहरीर प्रदर्श पी 56 प्रेषित किया जाना तथा दिनांक 12-06-2018 को जिला परिवहन अधिकारी चुरू को वाहन टोयटा इनोवा संख्या आर.जे.10 यूए 0267 का वर्तमान वाहन स्वामी बाबत तहरीर प्रदर्श पी 57 प्रेषित किया जाना स्वीकार करते हुए उक्त फर्दात पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है ।इस प्रकार उक्त गवाह के मुख्य परीक्षण से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 के स्वामी बाबत सम्पूर्ण रेकार्ड संबधित विभाग से प्राप्त किया गया है । इसके साथ ही उक्त गवाह के द्वारा दौराने अनुसंधान जिला परिवहन अधिकारी चुरू से वाहन संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 की आर सी प्रदर्श पी 66 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना स्वीकार किया गया है । इसी अनुक्रम में गवाह पी.ड.7 हरदीन के बयानों का अवलोकन किया जाऐ तो उक्त गवाह के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक 8-6-2018 को टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 को रूकवाना एवं उक्त गाडी में से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जाना कथित करता है । इसी अनुक्रम में गवाह पी.ड.8 राजकंवर के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में मुलजिम कृष्ण कुमार के विरूद्व धारा 8/15 अधिनियम के तहत आरोप प्रमाणित पाये जाने पर स्वयं के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार करती है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.10 गोपा राम है उक्त गवाह के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 08-06-2018 को वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 में से अवैध अफीम डोडा पोस्त जब्त किया जाना कथित करता है । साथ ही गवाह पी.ड.11 वेद प्रकाश के द्वारा भी अपने मुख्य परीक्षण में वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 में से अफीम डोडा पोस्त जब्त किया जाना एवं तलाशी के दौरान अभियुक्त् विजेन्द्र की गाडी से आर सी व गाडी संख्या

आर.जे.10 यू ए 0267 के कागजात मिलने की पुष्टी करते हुए उसके एवं कुलदीप सिंह ए एस आई के समक्ष उक्त कागजात जब्त किया जाना स्पष्ट रूप सें स्वीकार करता है । इस प्रकार उक्त गवाहान के बयानात से यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित है कि वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 के कागजात मौके पर ही जब्त किये गये ।

32– इसके अतिरिक्त गवाह पी.ड.15 रेखराज फर्द गिरफतारी का गवाह है । उक्त गवाह अभियुक्त कृष्ण कुमार को गिरफतार किया जाकर फर्द गिरफतारी एवं जामा तलाशी प्रदर्श पी 38 मुर्तिब किये जाने का कथन करते हुए उक्त फर्द पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

33– इसके साथ ही उपरोक्त समस्त साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली पर फर्द प्रदर्श पी 06 फर्द जब्ती वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 मय कागजात पेश है । जिसके अवलोकन से उक्त फर्द में गाडी टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 कृष्ण कुमार पुत्र महावीर निवासी भामासी, जिला चुरू के नाम पर रजिस्टर्ड होना अंकित है । इसी अनुक्रम में पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श पी 22 का अवलोकन किया जावे तो उक्त प्रदर्श पी 22 वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 की आर.सी है जिसके अवलोकन से वाहन नम्बर आर.जे.10 यू ए 0267 का पंजीकृत स्वामी अभियुक्त कृष्ण कुमार का होना प्रमाणित होता है । इसी के साथ पत्रावली पर प्रदर्श पी 23 उक्त् वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र है एवं प्रदर्श पी 24 उक्त वाहन का बीमा है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श पी 66 का अवलोकन किया जावे तो उक्त दस्तावेज जिला परिवहन अधिकारी चुरू के द्वारा जारी किया जाना प्रकट होता है। जिसमें वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 के पंजीकृत स्वामी के रूप में अभियुक्त् कृष्ण कुमार का नाम अंकित है ।

**34– उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिक**

**प्रावधान का अवलोकन किया जावे तो धारा 35 व धारा 54 एन.डी.पी.एस. एक्ट में निम्न प्रावधान वर्णित है :-**

**35- आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा** (1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है। किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी ।

**स्पष्टीकरण** — इस धारा " आपराधिक मानसिक दशा " के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या उस पर विश्वास करने का कारण है

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्ति युक्त संदेह से परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विधमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विधमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्व होती है ।

**54-. अवैध वस्तुओ के कब्जे से उपधारणा-** इस अधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जा सकेगी कि अपराधी ने--

(क )किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ:

(ख ) किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी अफीम पोस्त, कैबिनस के पौधे या कोका के पोधे:

(ग) किसी स्वापक औषधि या मन: प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग: या

(घ ) किसी ऐसी सामग्री, जिस पर किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण सं संबधित कोई प्रसंस्करण किया गया या ऐसी सामग्री से बचे किसी ऐसे अवशिष्ट, जिससे किसी स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण किया गया है, की बाबत , जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप में हिसाब देने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है ।

35– इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे प्रमाणित है कि मौके पर जिस वाहन इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 से अवैध अफीम डोडा पोस्त को जब्त किया गया। उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 का पंजीकृत स्वामी मुलजिम कृष्ण कुमार है । इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो कि मौके पर उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 नहीं हो। इसी के साथ पत्रावली पर न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–12–2019 से उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 से अवैध मादक पदार्थ जब्त किया जाना भी प्रमाणित है । जहां तक यह प्रश्न है कि उक्त माल वाहन स्वामी की जानकारी के बिना परिवहन किया जा रहा था तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि वाहन स्वामी की जानकारी के बिना इतनी भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ उसके वाहन में भरकर परिवहन करना प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में माने जाने योग्य नहीं है। अभियुक्त की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है कि जिससे यह प्रमाणित हो कि उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 के वाहन स्वामी अर्थात अभियुक्त कृष्ण कुमार की जानकारी के बिना अभियुक्त विजेन्द्र के द्वारा उक्त वाहन से अवैध मादक पदार्थ परिवहन किया गया । जिस कारण विधिक प्रावधान के

परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त को उसके वाहन इनोवा कार संख्या आर.जे.10 यू ए 0267 में जब्तशुदा अवैध अफीम डोडा पोस्त होने की जानकारी होने की उपधारणा किया जाना विधिसम्मत प्रकट होता है ।

36– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष सन्देह से परे यह तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है कि दिनांक 09.06.18 को समय 1.00 एएम या उसके लगभग टोल नाका बिडकचियावास अजमेर पर टोयटा इनोवा कार संख्या आरजे-10-यूए-0267 में रखे 9 प्लास्टिक कट्टों में मादक पदार्थ अफीम डोडा पोस्त का चूरा कुल 157.900 किलोग्राम बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुआ तथा घटना के समय अभियुक्त कृष्ण कुमार के नाम पंजीकृत उक्त वाहन टोयटा इनोवा कार संख्या आरजे-10-यूए-0267 को मादक पदार्थ के परिवहन के प्रयोजन में अभियुक्त विजेन्द्र कुमार द्वारा प्रयुक्त किया गया । ऐसे में अभियोजन भियुक्त् कृष्ण कुमार के विरूद्व धारा 8/25 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है ।

## आदेश

37– फलतः अभियुक्त **कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर, जाति मेघवाल, निवासी भामासी पुलिस थाना-दुधवा खारा, जिला-चुरू** को धारा-8/25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है

**(ममता सैनी )**
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

**दण्ड पर सुनवाई व दण्डादेश**

38- दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया।

39- अभियुक्त कृष्ण कुमार की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि वह मजदूर पेशा व्यक्ति है व अपने परिवार का एकमात्र खाने कमाने वाला सदस्य है एवं उसके विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि नहीं है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है । अन्त में अभियुक्त की परिस्थितियों व प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उसके विरूद्ध सजा के बाबत नरम रवैया अपनाये जाने का निवेदन किया है।

40- विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रकरण में जब्तशुदा माल की वाणिज्यिक मात्रा को मध्येनजर रखते हुये अभियुक्त को कठोर दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है।

41- दण्ड के बाबत उभय पक्षकारान को सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस मत पर पहुंचता है कि प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ डोडा पोस्त की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से काफी अधिक रही है, जो कुल 157.900 किलोग्राम है, मादक पदार्थ की तस्करी हर दृष्टि से गम्भीर अपराध है। इस प्रकार के अपराधों में वर्तमान में इस क्षेत्र में दिनोंदिन वृद्धि होती जा रही है। अतः प्रकरण में जब्तशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को व प्रकरण के तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है:-

**दण्डादेश**

42- परिणामतः अभियुक्त **कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर, जाति मेघवाल, निवासी भामासी पुलिस थाना-दुधवा खारा, जिला-चुरू** को धारा-8/25 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दोषसिद्ध पाते हुये उसे **बीस वर्ष** का कठोर कारावास एवं **दो लाख**

**रूपये** के अर्थदण्ड, अदम अदायगी अर्थदण्ड एक वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है।

43– धारा 428 द.प्र.सं. के तहत अभियुक्त द्वारा पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे।

44– अभियुक्त का सजायाबी वारन्ट बनाये जावे।

45– निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे।

46– प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण विजय कुमार शर्मा पुत्र महेन्द्र सिंह, निवासी ब्राहमणों का बास, थाना हमीरवास, जिला चुरू व पवन कुमार पुत्र जयनारायण स्वामी, निवासी चांदगोठी, थाना हमीरवास जिला चुरू के विरूद्व धारा 173(8)दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अनुसंधान शेष है ऐसे में पत्रावली का कोई भी भाग जाया नहीं किया जावे, इस बाबत सरबरक पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे ।

**(ममता सैनी )**
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।

47– निर्णय आज दिनांक 24–07–2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(ममता सैनी )**
विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि
एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
नसीराबाद, अजमेर।